गैर–एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणालियों के लिए लागू मसौदा टैरिफ ऑर्डर पर परामर्श

केबल टीवी सेवाएं जिन्हें गैर–एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणालियों के माध्यम से प्रस्तावित किया जाता है के लिए टैरिफ, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ (द्वितीय) टैरिफ ऑर्डर, 2004 (2004 का 6) दिनांक 01.10.2004 द्वारा प्रशासित है। इस टैरिफ ऑर्डर का आठवाँ संशोधन न्यायिक जांच के अन्तर्गत था, पहले माननीय दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय अधिकरण (टीडीसैट) में, और उसके बाद, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। कथित विषय (दीवानी अपील संख्याएँ 2009 की 829–833 (भादूविप्रा बनाम मैसर्स सैट डिस्कवरी प्राइवेट लिमिटेड एवम् अन्य) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 13.05.2009 के अनुपालन में, भादूविप्रा ने, एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया का पालन करने के बाद, "गैर–सीएएस क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं से संबंधित टैरिफ मुद्दे" शीर्षक की एक रिपोर्ट तैयार की थी । यह रिपोर्ट 21.07.2010 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जमा की गई। इस रिपोर्ट में, दूसरी बातों के साथ, गैर–एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणालियों के लिए लागू एक मसौदा टैरिफ ऑर्डर भी निहित था। कथित रिपोर्ट की एक प्रति भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर रखी गई है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कथित विषय में अपना अंतिम आदेश 17.09.2014 को सुनाया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, इस आदेश में, अपीलों का निपटान किया, जबकि विधि के सभी प्रश्नों को खुला छोड़ा। उन्होंने यह आदेश भी दिया कि 31.12.2014 तक *यथास्थिति* जारी रहेगी। आदेश में आगे यह भी कहा गया कि भादूविप्रा नए टैरिफ ऑर्डर को 31.12.2014 के तुरंत बाद अधिसूचित करने का प्रयास करेगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की कि क्योंकि रिपोर्ट 2010 में तैयार की गई थी, आगे के परामर्शों को करने की एक आवश्यकता हो सकती है और हितधारकों को अनुमति दी कि, यदि ऐसा प्रकरण हो, कि उनकी मंशा भादूविप्रा को अभ्यावेदन करने की हो, तो वे इसे सकारात्मक रूप से 30.09.2014 या इससे पहले, ऐसा कर सकते हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए, कुछ हितधारकों ने उनके अभ्यावेदनों को जमा किया है। इन अभ्यावेदनों को भी भादूविप्रा की वेबसाइट पर रखा गया है।

प्राधिकरण का दृष्टिकोण यह है कि जब कथित रिपोर्ट के भाग के रूप में मसौदा टैरिफ ऑर्डर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जमा किया गया था, उस समय के बाद से कई घटनाएँ हुई हैं, जिन्हें अंतिम

टैरिफ ऑर्डर में उचित रूप से प्रतिबिम्बित किया जाना चाहिए। फिर भी, टैरिफ ऑर्डर को अंतिम रूप देने से पहले, इस काम को हितधारकों के साथ परामर्श करके किया जाना चाहिए। तदनुसार, एक संशोधित मसौदा टैरिफ ऑर्डर, नाम से, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ (सातवाँ) (गैर–एड्रेसेबल प्रणालियाँ) टैरिफ ऑर्डर, 2014 (मसौदा), तैयार किया गया है और भादूविप्रा की वेबसाइट पर हितधारकों के विचारों/टिप्पणियों की माँग करने के लिए रखा गया है।

हितधारकों से यह अनुरोध हैं कि वे इस मसौदा टैरिफ ऑर्डर पर अपने लिखित विचार/टिप्पणियाँ 15 दिसंबर 2014 तक जमा करें। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह अवसर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनके आदेश दिनांक 17 सितंबर 2014 के माध्यम से पहले से ही दिए गए अवसर के अलावा है, जिसमें उन्होंने हितधारकों को भादूविप्रा को, सकारात्मक रूप से 30.09.2014 तक, अभ्यावेदन करने की अनुमति दी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई समय–सीमा को ध्यान में रखते हुए, विचारों/टिप्पणियों को जमा करने की तिथि में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। टिप्पणियाँ पसन्दीदा रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, श्री वसी अहमद, सलाहकार (बीएण्डसीएस), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली – 110002, (दूरभाष संख्या 011–23237922, फैक्स संख्या 011–23220442; ईमेलः traicable@yahoo.co.in या advbcs@trai.gov.in) को भेजी जा सकती हैं। टिप्पणियाँ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर प्रकाशित की जाएँगी।

मसौदा

भारत के राजपत्र, असाधारण, खंड III, धारा 4,

में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ (सातवाँ) (गैर–एड्रेसेबल प्रणालियाँ) टैरिफ ऑर्डर, 2014

(संख्या 2014 का ––––––)

नई दिल्ली, ––––––– 2014

फाइल संख्या 1–1/2014–बीएण्डसीएस. .....भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (ख) के उप–खंड (ii), (iii), (iv) और (v) और उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना, संख्या 39, के साथ पठित, ––––

(क) कथित अधिनियम की धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (के) के परंतुक और धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (डी) द्वारा केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी किया, और

(ख) अधिसूचना संख्या एस.ओ. 44 (ई) और 45 (ई) दिनांक 9 जनवरी 2004 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II– धारा 3 –उप–खंड (ii) में प्रकाशित, ––––

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्द्वारा निम्न आदेश देता है, नाम सेः ––––

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ (सातवाँ) (गैर–एड्रेसेबल प्रणालियाँ)
टैरिफ ऑर्डर, 2014 (संख्या ———— 2014)

भाग **I**

प्रारंभिक

1. लघु शीर्षक और प्रारम्भ. ———(1) यह आदेश दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ (सातवाँ) (गैर–एड्रेसेबल प्रणालियाँ) टैरिफ ऑर्डर, 2014 कहा जा सकता है।

(2) यह आदेश 01 जनवरी 2015 से प्रभावी होगा।

2. प्रयोज्यता. ————यह आदेश गैर–एड्रेसेबल प्रणालियों के माध्यम से, भारत के पूरे राज्यक्षेत्र में, केबल सब्सक्राइबरों को प्रदान की गई प्रसारण और केबल सेवाओं पर लागू होगा।

3. परिभाषाएँ. ———— इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(ए) "अधिनियम" से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) अभिप्रेत है;

"(बी) ''एड्रेसेबल प्रणाली' से आशय है एक इलैक्ट्रानिक उपकरण (जिसमें हार्डवेयर और इससे सम्बद्ध साफ्टवेयर शामिल हैं) अथवा एक से अधिक इलैक्ट्रानिक उपकरण, जिन्हे एकीकृत प्रणाली में रखा गया हो और जिनके माध्यम से सिगनल कूट (एनक्रिप्टिड) रूप में भेजे जा सकते हैं और, जिन्हे उपभोक्ता को मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या डीटीएच ऑपरेटर या आईपीटीवी ऑपरेटर या एचआईटीएच ऑपरेटर द्वारा उपभोक्ता की स्पष्ट पसंद व अनुरोध पर, कन्डीशनल एक्सेस प्रणाली और उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्राधिकृत सीमाओं के भीतर, उपभोक्ता के परिसर में सक्रिय कन्डीशनल एक्सेस वाले किसी उपकरण अथवा उपकरणों से कूटानुवाद(डिकोड) किया जा सकता है;''

(सी) ''अला कार्टे'' से अभिप्रेत है एक टीवी चैनल की पेशकश करने के संदर्भ में स्टैंडअलोन आधार पर वैयक्तिक रूप से चैनल देने की पेशकश;

(डी) ''अला कार्टे दर'' से अभिप्रेत है वह दर जिस पर, यथास्थिति, टीवी चैनलों के वितरक या सब्सक्राइबर को स्टैंडअलोन वैयक्तिक पे–चैनल देने की पेशकश की जाती है;

(ई) "प्राधिकरण" से अभिप्रेत है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 3 की उप–धारा (1) के अंतर्गत स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण;

(एफ) "प्रसारक" से आशय है, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, या कॉरपोरेट निकाय, अथवा कोई संगठन अथवा निकाय है, जो अपने नाम पर केंद्र सरकार से अपलिकिंग अनुमति या डाउनलिकिंग अनुमति, जो भी उसके चैनलों पर लागू हो, प्राप्त करने के बाद, कार्यक्रम सेवाएं उपलब्ध कराता है,

(जी) ''प्रसारण सेवाएं'' से अभिप्रेत है अंतरिक्ष के माध्यम से अथवा केबल के माध्यम से इलेक्ट्रामैगनेटिक तरंगों के संप्रेषण द्वारा संचार के किसी भी रूप जैसे चिह्नों, सिग्नलों, लेखनों, चित्रों, प्रतिबिंबों और सभी प्रकार की आवाजों का प्रसार जिसे आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाना आशयित है, और इसकी सभी व्याकरणिक विभिन्नताओं और सजातीय अभिव्यक्तियों का तद्नुसार अर्थ माना जाएगा;

(एच) ''बुके'' अथवा ''चैनलों के बुके'' से अभिप्रेत है विशिष्ट चैनलों का संकलन जिनकी एक समूह या बंडल के रूप में पेशकश की जाती हो और जिन्हें एक साथ बेचा जाता हो।

(आई) 'बुके दर' अथवा ''बुके की दर'' से अभिप्रेत है वह दर जिस पर टीवी चैनलों के वितरक अथवा सब्सक्राइबर, जैसा भी मामला हो, को चैनलों के बुके की पेशकश की जाती है;

(जे) "डीएएस क्षेत्र" से आशय है ऐसे शहर, कस्बे और क्षेत्र जहां केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 4ए की उप–धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई

अधिसूचना के संदर्भ में प्रत्येक केबल ऑपरेटर के लिए एक डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के माध्यम से एनक्रिप्टिड रूप में किसी चैनल के कार्यक्रमों को ट्रांसमिट या रि–ट्रांसमिट करना अनिवार्य है;

(के) 'केबल सेवा' से अभिप्रेत है कार्यक्रमों का केबल द्वारा ट्रांसमिशन जिसमें किसी प्रसारण टेलीविजन सिगनलों का केबलों द्वारा रि–ट्रांसमिशन भी शामिल है;

(एल) 'केबल टेलीविजन नेटवर्क' से अभिप्रेत है क्लोज्ड ट्रांसमिशन पाथ और एसोसिएट सिगनल जनरेशन के सेट, नियंत्रण और वितरण उपकरण से मिलकर बनी कोई प्रणाली जिसे मल्टीपल सब्सक्राइबरों द्वारा केबल सेवा प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है;

(एम) 'केबल प्रचालक' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो केबल टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से केबल सेवा मुहैया कराता है अथवा अन्यथा नियंत्रित करता है या जो केबल टेलीविजन नेटवर्क के प्रबंधन और प्रचालन के लिए उत्तरदायी है;

(एन) ''प्रभार'' का आशय :–

(i) ''सब्सक्राइबर'' से आशय, सब्सक्राइबर द्वारा प्राप्त की गई केबल सेवाओं के लिए केबल ऑपरेटर अथवा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, को भुगतान की जाने वाली दर (कर के अलावा) से है;

(ii) ''केबल ऑपरेटर'' से आशय केबल ऑपरेटर द्वारा प्राप्त की जा रही प्रसारण अथवा केबल सेवाओं के लिए केबल ऑपरेटर द्वारा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा प्रसारक, जैसा भी मामला हो, को भुगतान की जा रही दर (कर के अलावा), से है;

(iii) ''मल्टी सिस्टम ऑपरेटर'' से आशय, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा प्राप्त की जा रही प्रसारण सेवाओं के लिए मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को भुगतान की जाने वाली दर (कर के अलावा), से है''।

''(ओ) ''वाणिज्यिक प्रतिष्ठान" से आशय, ऐसा भवन, जहां व्यापार, व्यवसाय और कार्य किए हैं, जो प्रांसगिक अथवा अनुषगी हो, जिसमें सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21वां) तथा पूर्त अथवा अन्य न्यास चाहे वे पंजीकृत हो अथवा नहीं, जो कोई व्यापार, व्यवसाय अथवा इससे जुडे अथवा इससे संबंधित कार्य करते हो, जिसमें निजी लाभ के लिए चलाए जा रहे पत्रकारिता तथा मुद्रण प्रतिष्ठान, शिक्षण, स्वास्थ्य परिचर्या अथवा अन्य संस्थान, थियेटर, सिनेमा, खानपान गृह, पब–बार, आवासीय होटल, मॉल, विमानपत्तन लाऊंज, क्लब अथवा सार्वजनिक मनोरंजन अथवा आमोद–प्रमोद के अन्य स्थान शामिल है, से है;

(पी) ''वाणिज्यिक सब्सक्राइबर'' से आशय, कोई भी व्यक्ति, जो किसी केबल ऑपरेटर अथवा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर अथवा डायरेक्ट–टु–होम ऑपरेटर अथवा हेडएण्ड–इन–द–स्काई ऑपरेटर अथवा इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, को इगित किए गए स्थान पर प्रसारण सेवाएं या केबल सेवाएं प्राप्त करता हो और ऐसी सेवाओं को अपने ग्राहकों, उपभोक्ताओं, सदस्य अथवा अन्य व्यक्तियों के वर्ग अथवा समूह, जिनकी उसके वाणिज्यिक प्रतिष्ठान तक पहुंच है, के लाभ के लिए उपयोग करता हो, से हैद्ध

(क्यू) ''टीवी चैनलों के वितरक'' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसमें कोई समष्टि, व्यक्तियों का समूह, पब्लिक या कारपोरेट निकाय, फर्म या कोई ऐसा संगठन या निकाय शामिल है जो केबल के माध्यम से या अंतरिक्ष के माध्यम से इलेक्ट्रोमैगनेटिक तरंगों द्वारा टीवी चैनलों को पुनः प्रेषित करता है जिन्हें आम जनता द्वारा प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः रूप से प्राप्त करना आशयित है तथा ऐसे व्यक्ति में शामिल है, परंतु सीमित नहीं है, केबल ऑपरेटर, डायरेक्ट–टु–होम ऑपरेटर, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, हेड एंड्स इन द स्काई ऑपरेटर, तथा इंटरनेट प्रोटोकोल टेलीविजन सेवा प्रदान करने वाला कोई सेवा प्रदाता;

(आर) ''वितरण प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर'' से अभ्रिपेत है कि ऐसा ऑपरेटर जो आईपीटीवी सेवाएं या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर या एचआईटीएच ऑपरेटर या डीटीएच ऑपरेटर या केबल ऑपरेटर को ये सेवाएं प्रदान कर रहा है।

(एस) ''फ्री–टु–एयर चैनल'' से अभिप्रेत है ऐसा चैनल जिसके लिए प्रसारक को इलेक्ट्रोमैगनेटिक तरंगों के माध्यम से उसके रिट्रांसमिशन के लिए शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है और जिसे सामान्य जनता द्वारा केबल अथवा अंतरिक्ष के माध्यम से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है;

''(टी) "मल्टी सिस्टम ऑपरेटर" से आशय ऐसा केबल ऑपरेटर है, जिसे केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्रदान किया गया हो और जो किसी प्रसारक से कार्यक्रम सेवा प्राप्त करता है तथा उसे पुनः ट्रांसमिट करता है या अपने कार्यक्रम सेवा को या तो मल्टीपल सब्सक्राइबरों द्वारा सीधे या एक या एक से अधिक स्थानीय केबल ऑपरेटरों के माध्यम से एक साथ प्राप्त करने के लिए ट्रांसमिट करता है,''

(यू) "नॉन डीएएस क्षेत्र" से अभिप्रेत है डीएएस क्षेत्र के अलावा।

(वी) ''आदेश'' से अभिप्रेत है दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (सातवां) (नॉन–एड्रेसेबल प्रणालियां) टैरिफ आदेश, 2014

(डब्ल्यू) ''सामान्य केबल उपभोक्ता'' से आशय है कोई उपभोक्ता, जो किसी सेवा प्रदाता से कार्यक्रम सेवा प्राप्त करता है ओर उसका इस्तेमाल अपने घरेलू प्रयोजनों के लिए करता है,

(एक्स) 'पे चैनल' से अभिप्रेत है ऐसा चैनल जिसके लिए केबल के माध्यम से या अंतरिक्ष के माध्यम से इलैक्ट्रोमैगनेटिक तरंगों द्वारा सिगनलों के ऐसे रि–ट्रांसमिशन के लिए प्रसारक को शुल्क का भुगतान किया जाता है, जिसका आशय सामान्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करना है;

(वाई) "प्रोग्राम" से आशय है कोई टेलीविजन प्रसारण और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) फिल्मों, फीचरों, ड्रामा, विज्ञापनों और धारावाहिकों का प्रदर्शन;

(2) कोई आडियो या विजुअल या ऑडियो–विजुअल लाइव प्रस्तुतिकरण या प्रस्तुति और " कार्यक्रम सेवा" अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार होगा;

(एए) ''अनुसूची'' से आशय आदेश के साथ संलग्न अनुसूची से है।

(बीबी) "सेवा प्रदाता" से आशय है सेवा प्रदाता के रूप में सरकार और इसमें शामिल हैं लाइसेंसधारी तथा कोई प्रसारक, मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, केबल ऑपरेटर अथवा टीवी चैनलों का वितरक;

(सीसी) "सब्सक्राइबर" आशय व्यक्ति से है जो सेवा प्रदाता को बताए गए किसी स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसमिट किए बगैर सेवा प्रदाता के सिगनल प्राप्त करता है तथा इसमें साधारण सब्सक्राइबर और वाणिज्यिक सब्सक्राइबर, जब तक कि उन्हें विशेष रूप से इससे हटाया न गया हो, शामिल हैं;

(डीडी) "टीवी चैनल" से आशय है ऐसा चैनल जिसे निम्न के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है–

(क) 5 दिसंबर, 2011 को सं.1501/34/2009–टीवी(I) के तहत जारी भारत से अपलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश; अथवा

(ख) 5 दिसंबर, 2011 को सं.1501/34/2009– टीवी(I) – के तहत जारी टेलीविजन चैनलों की डाउनलिंकिंग के लिए नीति–निर्देश;

समय–समय पर यथासंशोधित अथवा भारत सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) द्वारा अपलिंकिंग अथवा डाउनलिंकिंग के लिए समय–समय पर जारी ऐसे दिशानिर्देश तथा 'चैनल' शब्द का संदर्भ 'टीवी चैनल' के संदर्भ के रूप में माना जाएगा;

(ईई) इन विनियमों में प्रयुक्त किए गए किंतु परिभाषित नहीं किए गए और अधिनियम में या केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियम) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) और इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों में परिभाषित किए गए अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो उन्हें यथास्थिति, उन अधिनियमों या नियमों या अन्य विनियमों में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है;

भाग **II**

सब्सक्राइबरों द्वारा केबल ऑपरेटरों या मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों को देय शुल्क

(खुदरा टैरिफ)

4. साधारण केबल सब्सक्राइबर द्वारा केबल ऑपरेटर या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को देय शुल्क.———(1) हर एक केबल ऑपरेटर या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, जैसा भी प्रकरण हो, जो केबल सेवाएँ अपने साधारण केबल सब्सक्राइबरों को प्रदान करता है, अपने साधारण केबल सब्सक्राइबरों से इस तरह के केबल सेवाओं के लिए ऐसी दर वसूलेगा, जो अनुसूची के भाग I या भाग II, जैसा भी प्रकरण हो, में निर्दिष्ट किए गए शुल्कों की अधिकतम राशि से अधिक न हों।

(2) वाणिज्यिक सब्सक्राइबर के मामले में, प्रत्येक टेलीविजन कनेक्शन के लिए, उप–खंड(1) के तहत साधारण केबल सब्सक्राइबर द्वारा भुगतान किए जाने वाले प्रभार, इसकी अधिकतम सीमा होंगेः

बशर्ते यदि कोई वाणिज्यिक सब्सक्राइबर अपने ग्राहक अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उसके परिसर में दिखाए गए किसी प्रसारक के कार्यक्रम के लिए शुल्क वसूलता है, तो ऐसी सेवा उपलब्ध कराने से पूर्व उस प्रसारक के साथ करार करेगा तथा प्रसारक, ऐसे कार्यक्रम के लिए वाणिज्यिक सब्सक्राइबर से प्रभार वसूलेगा, जो उनकी आपसी सहमति से तय होगा**;**

स्पष्टीकरण (1): संदेह दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणालियाँ) टैरिफ ऑर्डर, 2010 (2010 का 1) का प्रावधान एड्रेसेबल प्रणालियों के माध्यम से उपभोग्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही प्रसारण और केबल सेवाओं पर लागू होगा।

स्पष्टीकरण (2): संदेह दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त परंतुक में संदर्भित किसी भी कार्यक्रम के प्रसारण की अवधि के दौरान वाणिज्यिक सब्सक्राइबर द्वारा उपलब्ध करायी जा

रही वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में किसी भी प्रकार की वृद्धि को उक्त कार्यक्रम के लिए प्रभार माना जाएगा।

भाग **III**

केबल ऑपरेटरों या मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों द्वारा प्रसारकों को देय शुल्क

(थोक टैरिफ)

5. प्रसारकों को चैनलों और बुके के लिए दरों को निर्धारित की गई सीमाओं के भीतर निर्दिष्ट करना है.––––– (1) हर एक प्रसारक चैनलों की पेशकश, टीवी चैनलों के वितरकों को, जो कि गैर–एड्रेसेबल प्रणालियों का उपयोग करके टीवी चैनलों का वितरण कर रहा है, अ–ला–कार्ट आधार पर करेगा और हर एक पे–चैनल के लिए अ–ला–कार्ट की दर निर्दिष्ट करेगाः

बशर्ते कि प्रसारक द्वारा किसी पे–चैनल के लिए निर्दिष्ट की जाने वाली अ–ला–कार्ट दर किसी भी प्रकरण में उस पे–चैनल के लिए ऐसी अ–ला–कार्ट दर से अधिक नहीं होगी जो इस आदेश के प्रभावी होने से तुरन्त पहले प्रचलित थी।

(2) ऐसे प्रकरण में कि जब कोई प्रसारक पे–चैनलों को केवल पे–चैनलों के या पे और निःशुल्क दोनों प्रकार के चैनलों से मिलकर बने किसी बुके के भाग के रूप में प्रदान करता है, तो इस तरह का प्रसारक उसके द्वारा पेशकश किए गए चैनलों के इस तरह के बुके में से हर एक के लिए दर निर्दिष्ट करेगाः

बशर्ते कि प्रसारक द्वारा किसी बुके के लिए निर्दिष्ट की जाने वाली बुके की दर, किसी भी प्रकरण में उस बुके के लिए ऐसी बुके दर से अधिक नहीं होगी जो इस आदेश के प्रभावी होने से तुरन्त पहले प्रचलित थी।

बशर्ते यह भी कि ऐसे बुके के प्रकरण में जो इस आदेश के प्रभावी होने से पहले से ही अस्तित्व में है और ऐसे बुके के प्रकरण में जो इस आदेश के प्रभावी होने के बाद अस्तित्व में आए हैं, दोनों के लिए, चैनलों के किसी बुके के लिए वसूली गई दर और बुके का भाग बनने वाले ऐसे पे–चैनलों के लिए अ–ला–कार्ट दरें निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत होंगी, नाम सेः–

(क) इस तरह के किसी बुके का भाग बनने वाले पे–चैनलों की अ–ला–कार्ट दरों का योग किसी भी प्रकरण में उस बुके की दर के डेढ़ गुना से अधिक नही होगा जिसमें इस तरह के पे–चैनल एक भाग हैं; और

(ख) हर एक ऐसे पे–चैनल की अ–ला–कार्ट दर, जो इस तरह के किसी बुके का भाग है, किसी भी प्रकरण में उस बुके के किसी पे–चैनल की औसत दर से तीन गुना से अधिक नहीं होंगी और बुके के किसी पे–चैनल की औसत दर की गणना निम्न तरीके से की जाएगी, नाम सेः–

यदि बुके दर प्रति सब्सक्राइबर प्रति माह रुपए 'X' है और बुके में पे–चैनलों की संख्या 'Y' है, तो उस बुके में किसी पे–चैनल की औसत दर रुपए 'X' को पे–चैनलों 'Y' की संख्या से विभाजित करके निकाली जाएगी।

बशर्ते यह भी कि 01 दिसम्बर 2007 की तिथि पर विद्यमान किसी बुके की संरचना, जहाँ तक कि उस बुके में पे–चैनलों का सम्बन्ध है, बदली नहीं जाएगीः

बशर्ते आगे यह भी कि, तीसरे परंतुक में शामिल कोई भी बात, दिसंबर, 2007 के प्रथम दिवस पर विद्यमान उन चैनलों के बुके, जिन्हें कि दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतःसंयोजन (सातवां संशेधन) विनियम, 2014 के प्रारंभ होने के अनुसरण में संशोधित किया जाना अपेक्षित है, पर लागू नहीं होगी और चैनलों के ऐसे संशोधित बुके की दर निम्न प्रकार से निर्धारित की जाएगी :–

संशोधित बुके की दर = [विद्यमान बुके की दर] x [संशोधित बुके को मिलाकर बनाए गए पे–चैनलों की अ–ला–कार्टे दर का योग/विद्यमान बुके को मिलाकर बनाए गए सभी पे–चैनलों की अ–ला–कार्टे दर] और यदि बुके के संशोधन के बाद, ऐसे बुके में केवल एक चैनल बचता है तो, प्रसारक ऐसे चैनल को अपने संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में प्रकाशित अ–ला–कार्टे दर पर प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

बशर्ते यह भी कि किसी भी पे टीवी चैनल को तीसरे परंतुक में सन्दर्भित किए गए टीवी चैनलों के संशोधित किए गए बुके में जोड़ा या उससे हटाया नहीं जाएगा ।

(3) उप–खण्ड (1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट किए गए हर एक पे–चैनल के लिए अ–ला–कार्ट दर और उप–खण्ड (2) के अन्तर्गत निर्दिष्ट की गई बुके दर, प्रसारक के द्वारा तब तक बढ़ाई नहीं जाएगी जब तक कि इस प्रकार की वृद्धि की अनुमति प्राधिकरण द्वारा किसी आदेश द्वारा नहीं दी जाती है:

बशर्ते कि प्रसारक इस तरह की दर या दरों को, जैसा भी प्रकरण हो, किसी भी समय, कम कर सकता है;

(4) ऐसे प्रकरण में जब कोई प्रसारक ऐसे किसी पे–चैनल को बन्द करता है जो ऐसे किसी बुके का भाग बना था जिसके लिए दरों को उसके द्वारा उप–खण्ड (2) के अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया था या ऐसे किसी पे–चैनल को किसी निःशुल्क चैनल में बदल देता है, तब प्रसारक बुके के मूल्य को अनुपातिक रूप से कम करेगा;

(5) ऐसे प्रकरण में जब कोई बुके जो इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि पर विद्यमान है, निःशुल्क और पे–चैनलों दोनों से मिलकर बना है, और यदि किसी भी निःशुल्क चैनल को उस तिथि के बाद पे–चैनल में परिवर्तित किया जाता है, तो कथित विद्यमान बुके (कथित निःशुल्क चैनल को छोड़कर) की पेशकश इस तरह के बुके के लिए उस तिथि पर प्रचलित दरों पर या उससे कम पर की जाएगी;

(6) ऐसे प्रकरण में जब कोई बुके जो इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि पर विद्यमान है, निःशुल्क और पे–चैनलों दोनों से मिलकर बना है, और यदि बुके में सम्मिलित कोई भी पे–चैनल उस तिथि के बाद निःशुल्क चैनल में परिवर्तित किया जाता है, तो कथित विद्यमान बुके, इस तरह से परिवर्तित किए गए निःशुल्क चैनल के साथ या उसके बिना, की पेशकश इस तरह के बुके के लिए उस तिथि पर प्रचलित दर को, इस तरह की किसी राशि से कम करने के बाद की जाएगी, जो उस राशि से कम नहीं है जिसमें वही अनुपात है जो कथित पे–चैनल की अ–ला–कार्ट दर का कथित बुके में सम्मिलित सभी पे–चैनलों की अ–ला–कार्ट दरों के कुल योग के साथ है।

(7) यदि इस आदेश के प्रभावी होने के बाद कोई भी निःशुल्क चैनल पे–चैनल में परिवर्तित किया जाता है या कोई भी नया पे–चैनल किसी प्रसारक द्वारा शुरू किया जाता है, तो इस तरह के नए पे–चैनल या परिवर्तित किए गए पे–चैनल के लिए दर इसी तरह के चैनलों की ऐसी दरों के समान होगी जो इस आदेश के प्रभावी होने से पहले या इस तरह के नए चैनल के शुरू या इस तरह के निःशुल्क चैनल के किसी पे–चैनल में रूपांतरण की तिथि पर विद्यमान थे।

बशर्ते कि प्रसारक अपने चैनलों का जौनर (शैली) घोषित करेगा और ऐसा जौनर (शैली) या तो समाचार और समसामयिक मामले या सूचना–मनोरंजन (इनफोटेनमेंट) या खेलकूद या बच्चे (किड्स) या संगीत या जीवनशैली या फिल्में या धार्मिक या भक्तिमय या सामान्य मनोरंजन (हिंदी) या सामान्य मनोरंजन (अंग्रेजी) या सामान्य मनोरंजन (क्षेत्रीय भाषा) के होंगे;

बशर्ते यह भी इस उप–खण्ड के अन्तर्गत समान चैनलों की दरों की समानता को निर्धारित करने में, निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाएगाः

(i) नए पे या परिवर्तित किए गए निःशुल्क चैनल का जौनर (शैली) और की भाषा; और

(ii) समान जौनर (शैली) और भाषा के विद्यमान चैनलों को आवंटित किए गए मूल्यों का ऐसे किसी बुके के मूल्य और बुके (एकाधिक) के मूल्यों में विस्तार जो विद्यमान है ।

(8) ऐसे प्रकरण में जब कोई प्रसारक उप–खण्ड (6) के अन्तर्गत कोई नया पे–चैनल शुरू करता है या किसी निःशुल्क चैनल को किसी पे–चैनल में परिवर्तित करता है या ऐसे चैनलों का कोई नया बुके शुरू करता है, तो वह, नए पे–चैनल या चैनलों के बुके को शुरू करने या निःशुल्क चैनल का पे–चैनल में रूपांतरण करने के कम से कम तीस दिन पहले,–––––––

(क) इस तरह के चैनल या चैनलों या चैनलों के बुके के लिए अ–ला–कार्ट दर या बुके दर या दोनों, जैसा भी प्रकरण हो, निर्दिष्ट करेगा; और

(ख) इस तरह की दर या दरें, जैसा भी प्रकरण हो, प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा, और, साथ ही साथ अपनी वेबसाइट पर इस तरह की दरों का ब्यौरा डालेगाः

स्पष्टीकरणः संदेह दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणालियाँ) टैरिफ ऑर्डर, 2010 (2010 का 1) का प्रावधान एड्रेसेबल प्रणालियों के माध्यम से उपभोग्ताओं को प्रदान की जा रही प्रसारण और केबल सेवाओं पर लागू होगा।

भाग **IV**

केबल ऑपरेटरों द्वारा मल्टी सिस्टाम ऑपरेटरों को देय शुल्क

6. केबल ऑपरेटर द्वारा मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को देय शुल्क उन दोनों के बीच आपसी अनुबन्ध से प्रशासित होगा. ———————किसी केबल ऑपरेटर द्वारा किसी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को देय शुल्क केबल ऑपरेटर और मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के बीच आपसी अनुबन्ध से निर्धारित किया जाएगा।

स्पष्टीकरणः संदेह दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ (चौथा) (एड्रेसेबल प्रणालियाँ) टैरिफ ऑर्डर, 2010 (2010 का 1) का प्रावधान एड्रेसेबल प्रणालियों के माध्यम से उपभोग्ताओं को प्रदान की जा रही प्रसारण और केबल सेवाओं पर लागू होगा।

भाग **V**

विविध

7. रसीद और बिल जारी करना. ––––––– (1) प्रत्येक केबल ऑपरेटर या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, जैसा भी प्रकरण हो, हर एक सब्सक्राइबर को, इस तरह के सब्सक्राइबर द्वारा देय शुल्कों के लिए बिल देगा जो हर एक महीने या ऐसी दूसरी अवधि के लिए होगा, जिसके लिए इस तरह के शुल्क सब्सक्राइबर द्वारा देय हो जाते हैं।

(2) उप–खण्ड (1) में निर्दिष्ट किए गए प्रत्येक बिल में सभी प्रासंगिक विवरण निहित होंगे जिनमें ऐसे केबल ऑपरेटर या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा प्रदान किए गए पे और निःशुल्क चैनलों, जैसा भी प्रकरण हो, की कुल संख्या, लगाए गए शुल्क (करों को छोड़कर), लगाए गए करों की प्रकृति और दरें और उनकी राशि।

(3) प्रत्येक केबल ऑपरेटर या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, जैसा भी प्रकरण हो, सब्सक्राइबर द्वारा किए गए सभी भुगतानों को एक रसीद जारी करके सूचित (एक्नॉलिजमेंट) करेगा जो उसके द्वारा विधिवत हस्ताक्षर की गई है, जिसमें अवधि और प्रयोजन और दूसरे प्रासंगिक विवरण दर्शाए गए होंगे जिसके लिए भुगतान प्राप्त किया गया है।

(4) प्रत्येक केबल ऑपरेटर या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर, जैसा भी प्रकरण हो, प्रत्येक सब्सक्राइबर को, उप–खण्ड (1) के अनुपालन में ऐसे सब्सक्राइबर को दिए गए पहले बिल के साथ, 01 जनवरी 2015 के बाद, सब्सक्राइबर को प्रदान किए जाने वाले सभी पे–चैनलों और निःशुल्क चैनलों की एक सूची देगा और सब्सक्राइबर को प्रदान किए जाने वाले पे–चैनलों और निःशुल्क चैनलों में बाद में किए गए बदलावों के बारे में लिखित जानकारी, ऐसे बदलाव के बाद सब्सक्राइबर को दिए गए अगले बिल के साथ प्रदान करेगा।

8. रिपोर्ट करने की आवश्यकताएँ. ———————— (1) प्रत्येक प्रसारक, इस आदेश के प्रभावी होने से सात दिन के भीतर, प्राधिकरण को निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा, नाम सेः–

(क) प्रसारक द्वारा पेशकश किए जा रहे सभी निःशुल्क चैनलों के नाम, जौनर (शैली) और भाषा;

(ख) प्रसारक द्वारा पेशकश किए जा रहे प्रत्येक पे–चैनल का नाम, अ–ला–कार्ट दर, जौनर (शैली) और भाषा;

(ग) प्रत्येक बुके की दरों के साथ प्रसारक द्वारा पेशकश किए जा रहे सभी बुके की सूची, जिसमें सभी निहित पे–चैनलों और निःशुल्क चैनलों के नाम उसमें दर्शाए गए हों;

(घ) बुके में चैनलों के मालिकों के बीच राजस्व साझेदारी की व्यवस्था;

(ङ) सभी पे–चैनलों और निःशुल्क चैनलों (राष्ट्रीय या क्षेत्रीय, यदि क्षेत्रीय है, तो राज्य निर्दिष्ट अवश्य किया जाना चाहिए) के लिए लक्षित दर्शक;

(च) क्या पे–चैनल पूरे देश में पे–चैनल हैं या देश के केवल कुछ भाग में पे–चैनल हैं (राज्य निर्दिष्ट अवश्य किए जाने चाहिए यदि कोई चैनल देश के कुछ भाग में एक पे–चैनल है);

(छ) पिछले तीन वित्तीय वर्ष के विज्ञापन राजस्व;

(ज) किसी प्रसारक द्वारा पेशकश किए गए निःशुल्क चैनलों, पे–चैनलों, अ–ला–कार्ट दरों और बुके के लिए प्रासंगिक कोई भी दूसरी जानकारी।

बशर्ते कि उप–खण्ड (घ) और (छ) के अन्तर्गत जानकारी अंतःसंयोजन करार (प्रसारण और केबल सेवाएं) का रजिस्टर विनिमय, 2004 (2004 का 15) के प्रावधानों के अन्तर्गत किए गए पंजीकरणों के साथ वार्षिक रूप से भी दायर की जाएगी।

(2) प्रत्येक ऐसा प्रसारक जो, इस आदेश के प्रारम्भ होने के बाद, ————————

(क) किसी भी नए पे–चैनल या निःशुल्क चैनल को शुरू करता है; या

(ख) किसी भी पे–चैनल को निःशुल्क चैनल में परिवर्तित करता है; या

(ग) किसी भी निःशुल्क चैनल को पे–चैनल में परिवर्तित करता है; या

(घ) किसी भी निःशुल्क चैनल या पे–चैनल को रोक देता है; या

(ई) किसी भी नए बुके को शुरू करता है या किसी भी बुके को रोक देता है या विद्यमान बुके की की दर बदलता है; या

(च) किसी भी विद्यमान चैनल की अ–ला–कार्ट दर, जौनर (शैली), भाषा, नाम आदि बदलता है;

तो वह, इस तरह से शुरू करने या रूपांतरण या बन्द करने या बदलाव से एक महीने पहले, प्राधिकरण को, निम्न जानकारियां प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:–

(i) शुरू, परिवर्तित या बन्द किए जाने वाले चैनल का नाम;

(ii) तिथि जिस पर यह शुरू, परिवर्तित या बन्द किया जाना है;

(iii) पे–चैनल की अ–ला–कार्ट दर यदि यह कोई नया शुरू किया या परिवर्तित किया पे–चैनल है;

(iv) शुरू किए जाने वाले नए बुके या एक से अधिक बुके की संरचना, ऐसे प्रत्येक नए बुके के लिए दरों के साथ;

(v) किसी नए चैनल के प्रकरण में, नए चैनल का जौनर (शैली) और भाषा;

(vi) विद्यमान बुके की बदली गई दर;

(vii) विद्यमान चैनल की बदली गई अ–ला–कार्ट दर, जौनर (शैली), भाषा, नाम आदि।

(3) प्रत्येक प्रसारक उप–खण्डों (1) और (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई जानकारी को प्राधिकरण को जमा करने के साथ ही साथ अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा।

10. हस्तक्षेप करने की प्राधिकरण की शक्ति. ––––––– प्राधिकरण, अपने द्वारा बनाए गए या जारी किए गए किसी आदेश या निर्देश के द्वारा, इस टैरिफ ऑर्डर के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, या प्रसारण सेवाओं और केबल सेवाओं के सब्सक्राइबरों और सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए, या प्रसारण सेवा और केबल सेवाओं के क्रमबद्ध विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है।

भाग **V**

निरसन और बचत

11. निरसन और बचत. ———— (1) दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ (द्वितीय) टैरिफ ऑर्डर 2004 (2004 का 6) (इसके बाद निरस्त किए गए टैरिफ ऑर्डर के रूप में सन्दर्भित किया गया) एतद्द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

(2) निरसनों के सम्बन्ध में सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) में निहित प्रावधानों पर पूर्वाग्रह के बिना, कोई भी अधिसूचना (नोटिफिकेशन), आदेश, आवश्यकता, पंजीकरण, प्रमाणपत्र, अधिसूचना (नोटिस), निर्णय, निर्देश, अनुमोदन, अधिकृत, सहमति, आवेदन, अनुरोध या चीज़ या वस्तु, अनुरोध, जो निरस्त किए गए टैरिफ ऑर्डर के अन्तर्गत बनाया गया, जारी किया गया, दिया गया या किया गया है, यदि इस आदेश के प्रारम्भ के समय पर प्रभावी है, जब तक कि कोई अलग मंशा प्रकट नहीं होती है, प्रभावी रहना जारी रहेगा और उसका प्रभाव ऐसा रहेगा जैसे कि इस आदेश के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत बनाया गया, जारी किया गया, दिया गया या किया गया या लिया गया है।

(3) जब तक कि कोई अलग मंशा प्रकट नहीं होती है, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ (द्वितीय) टैरिफ ऑर्डर, 2004 (सं 2004 की 6) का निरसन, ————

(क) ऐसी किसी भी चीज़ को पुनर्जीवित नहीं करेगा जो उस समय पर प्रभावी या विद्यमान नहीं है जब निरसन प्रभावी होता है; या

(ख) निरस्त किए गए टैरिफ ऑर्डर के पिछले परिचालन को या उसके अन्तर्गत विधिवत की गई या सामना की गई किसी भी चीज़ को प्रभावित नहीं करेगा; या

(ग) इस प्रकार से निरस्त किए गए दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ (द्वितीय) टैरिफ ऑर्डर, 2004 (2004 का 6) के किसी भी उल्लंघन के लिए अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी अर्थदण्ड, ज़ब्ती या सज़ा को प्रभावित नहीं करेगा; या

(घ) निरस्त किए गए टैरिफ ऑर्डर के अन्तर्गत हासिल किए गए, उपार्जित किए गए या वहन किए गए किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व (ऑब्लिगेशन) या दायित्व (लायाबिलिटी) को प्रभावित नहीं करेगा; या

(ञ) किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व (ऑब्लिगेशन), दायित्व (लायाबिलिटी) अर्थदण्ड, ज़ब्ती या सज़ा के सम्बन्ध में किसी भी जाँच, कानूनी कार्यवाही या निवारण को प्रभावित नहीं करेगा, जैसा उपरोक्त है, ––––

और कोई भी ऐसी जाँच, कानूनी कार्यवाही या निवारण, स्थापित किया, जारी रखा या लागू किया जा सकता है, और कोई भी ऐसा अर्थदण्ड, ज़ब्ती या सज़ा अधिनियम के अन्तर्गत लगाई जा सकती है जैसे कि दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ (द्वितीय) टैरिफ ऑर्डर, 2004 (2004 का 6) निरस्त नहीं कर दिया गया था।

दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ (सातवाँ) (गैर–एड्रेसेबल प्रणालियाँ)

टैरिफ ऑर्डर 2014 की अनुसूची

(खण्ड 4 देखें)

भाग **I**

किसी साधारण केबल सब्सक्राइबर द्वारा देय शुल्क जो कि गैर–एड्रेसेबल प्रणालियों का उपयोग करके केवल निःशुल्क चैनलों (किन्हीं भी पे–चैनलों के बिना) को संचारित करने या पुनःसंचारित करने के लिए केबल ऑपरेटर या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को देय हैं –

संचारित किए जाने या पुनःसंचारित किए जाने वाले निःशुल्क चैनलों की न्यूनतम संख्याएँ। (1)	स्तम्भ (1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट किए गए निःशुल्क चैनलों (किसी भी पे–चैनल के बिना) के लिए पहले टेलीविजन कनेक्शन के लिए किसी सब्सक्राइबर द्वारा प्रति माह देय शुल्कों की अधिकतम राशि (सभी करों को हटा कर)। (2)
तीस निःशुल्क चैनल।	रुपए एक सौ पाँच मात्र।

भाग **II**

किसी साधारण केबल सब्सक्राइबर देय शुल्क जो कि द्वारा गैर–एड्रेसेबल प्रणालियों का उपयोग करके निःशुल्क चैनलों और पे–चैनलों दोनों को संचारित करने या पुनःसंचारित करने के लिए केबल ऑपरेटर या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर को देय हैं –

क्रमांक।	संचारित किए जाने या पुनःसंचारित किए जाने वाले पे–चैनलों और निःशुल्क चैनलों की संख्या।	स्तम्भ (2) के अन्तर्गत उल्लिखित किए गए पे–चैनलों और निःशुल्क चैनलों के लिए पहले टेलीविजन कनेक्शन के लिए किसी सब्सक्राइबर द्वारा प्रति माह देय शुल्कों की अधिकतम राशि (सभी करों को हटा कर)।
(1)	(2)	(3)
1.	न्यूनतम तीस निःशुल्क चैनल और बीस तक पे–चैनल	रुपए दो सौ ग्यारह मात्र से अधिक नहीं।
2.	न्यूनतम तीस निःशुल्क चैनल और बीस से अधिक पे–चैनल	रुपए दो सौ तिरेसठ मात्र से अधिक नहीं।

टिप्पणी 1. सभी केबल टेलीविजन नेटवर्क के लिए न्यूनतम तीस निःशुल्क चैनलों को संचारित या पुनःसंचारित करना अनिवार्य होगा, जिनमें केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 8 के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से संचारित किए जाने वाले आवश्यक दूरदर्शन के चैनल सम्मिलित हैं।

टिप्पणी 2. ऐसे प्रकरण में जब कि किसी विशेष प्रकरण में सेवाएँ महीने के एक भाग के लिए प्रदान की जाती हैं, तब अनुसूची के भाग I के स्तम्भ (2) के अन्तर्गत या भाग II के स्तंभ (3) के अन्तर्गत, जैसा भी प्रकरण हो, दर्शाई गई ऊपरी सीमा उस महीने के दौरान प्रदान की गई सेवा की अवधि के लिए किसी यथानुपात (प्रो–राटा) आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(सुधीर गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

व्याख्यात्मक ज्ञापन

पृष्ठभूमि

1. 15.1.2004 को, प्राधिकरण ने एक टैरिफ ऑर्डर जारी किया जिसके द्वारा किसी केबल उपभोक्ता द्वारा केबल ऑपरेटर को, किसी केबल ऑपरेटर द्वारा किसी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) को और किसी मल्टी सिस्टम ऑपरेटर द्वारा किसी प्रसारक को देय शुल्क ऐसी ऊपरी सीमा के रूप में निर्दिष्ट किए गए थे जैसे 26 दिसम्बर 2003 (जिस तिथि पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में सीएएस के शुरू के सम्बन्ध में आदेश पारित किए थे) को प्रचलित थे।

2. उस समय पर, भादूविप्रा ने 15.1.2004 को एक परामर्श नोट जारी किया जिसमें उपयुक्त अनुशंसाओं/ विनियमों/ आदेशों के बारे में हितधारकों के विचारों की माँग की गई थी जिसका लक्ष्य क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सेवाएँ कम मूल्य पर प्रदान करना था और उद्योग में विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना भी था। उसके बाद, भादूविप्रा ने, परामर्श पत्र दिनांक 15 जनवरी 2004 के प्रत्योत्तर में प्राप्त हुए आदानों को ध्यान में लेते हुए, 20 अप्रैल 2004 को एक विस्तृत परामर्श पत्र जारी किया था जिसका प्रयोजन क्षेत्र के लिए एक उपयुक्त टैरिफ प्रणाली पर निर्णय लेना था। बीच के समय में, भादूविप्रा को प्रसारकों, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों और केबल ऑपरेटरों से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें इस बारे में स्पष्टीकरण की माँग की गई थी कि ऐसे प्रकरण में ऊपरी सीमा के शुल्क क्या होने चाहिएँ जब कोई विद्यमान निःशुल्क चैनल (एफटीए) किसी पे–चैनल में परिवर्तित किया जाता है या जब कोई नया पे–चैनल शुरू किया जाता है। इसलिए, इन नए पे–चैनलों और पे–चैनलों में परिवर्तित किए गए निःशुल्क चैनलों के मूल्य निर्धारण के लिए कोई क्रियाविधि प्रदान किया जाना आवश्यक था। साथ ही साथ टैरिफ ऑर्डर दिनांक 15.1.2004 द्वारा उपभोक्ताओं के लिए प्रदान की गई सुरक्षा को संरक्षित करने की एक आवश्यकता भी थी। उल्लिखित ऊपरी सीमा की गरिमा को बनाए रखने के लिए, यह निर्णय लिया गया था कि 26.12.2003 के बाद शुरू किए गए पे–चैनलों को चैनलों के ऐसे बुके का भाग बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो 26.12.2003 पर प्रदान किए जा रहे थे। एक समान नियम उन चैनलों के लिए लागू किया गया था जो 26.12.2003 पर निःशुल्क थे और बाद में पे में परिवर्तित किए गए थे। आगे यह प्रावधान किया गया था कि नए पे–चैनलों को एकल रूप में या चैनलों के एक बुके के रूप में प्रदान किया जा सकता है जो टैरिफ ऑर्डर दिनांक 15.1.2004 के द्वारा निर्दिष्ट की गई ऊपरी सीमा के द्वारा कवर नहीं हैं। इस प्रकार, उन उपभोक्ताओं के लिए जिनको नए पे–चैनल नहीं मिले, पहले से ही निर्धारित की गई ऊपरी

सीमा को जारी रखने की अनुमति दी गई थी। जहाँ उपभोक्ताओं को 26.12.2003 के बाद नए पे–चैनल मिले थे, वह सीमा जिस तक हद तक ऊपर सन्दर्भित की गई ऊपरी सीमा को पार किया जा सकता था, वह नए चैनलों के लिए दरों तक सीमित थी। प्राधिकरण ने नए पे–चैनलों के लिए कोई ऊपरी सीमा मूल्य नियत करने के प्रश्न पर भी विचार किया परन्तु इस तथ्य को मानते हुए कि नए पे–चैनलों के लिए मूल्य नियत करना कठिन केवल इसलिए ही नहीं है क्योंकि इन मूल्यों में बड़ी विविधताएँ हैं परन्तु चैनल के मूल्यों को लागतों को कड़ीबद्ध करने में कठिनाई भी इसका एक कारण है, प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि प्रसारकों को आदेश दिया जाना चाहिए कि इस तरह के चैनलों के मूल्य ऐसी दरों पर नियत करें जो समान चैनलों के लिए 26.12.2003 को प्रचलित थीं और, यदि आवश्यक हो, तो स्वयं के पास इस तरह के मूल्यों में हस्तक्षेप करने की शक्ति को आरक्षित रखे। प्राधिकरण ने, विस्तृत विचार–विमर्शों के आधार पर, यह निर्णय भी लिया कि जहाँ पे–चैनलों की संख्या 26.12.2003 के बाद घटाई जाती है, ऊपरी सीमा शुल्क 26.12.2003 को इसी तरह के चैनलों की दरों को हिसाब में ले कर घटाई जानी चाहिए। प्राधिकरण ने 01 अक्टूबर 2004 को एक आत्म निहित टैरिफ ऑर्डर, नाम से, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ (द्वितीय) टैरिफ ऑर्डर, 2004 (2004 का 6), जारी किया जिसमें पूर्वगामी निर्णय निहित थे। समय–समय पर, टैरिफ ऑर्डर दिनांक 1.10.2004 के संशोधन अधिसूचित किए गए हैं। अब तक, टैरिफ ऑर्डर दिनांक 1.10.2004 में 12 संशोधन किए गए हैं।

इस टैरिफ ऑर्डर की आवश्यकता

3. इससे पहले, उल्लिखित टैरिफ ऑर्डर के, आठवें संशोधन दिनांक 4.10.2007, पर माननीय दूरसंचार विवाद निपटान अधिकरण (टीडीसैट) से सम्मुख अपील की गई थी। माननीय टीडीसैट ने दिनांक 15.01.2009 के अपने आदेश के माध्यम से इस टैरिफ संशोधन ऑर्डर को निरस्त कर दिया और भादूविप्रा को विषय का नए सिरे से अध्ययन करने और कोई व्यापक आदेश जारी करने के लिए कहा। प्राधिकरण ने माननीय टीडीसैट के आदेश दिनांक 15.01.2009 के विरुद्ध भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील (दीवानी अपील संख्या(एँ) 2009 की 829–833) दायर की थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 13.04.2009 को माननीय टीडीसैट के आदेश दिनांक 15.01.2009 की तिथि पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। 13.05.2009 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें भादूविप्रा को निर्देश

दिया था कि वो विषय पर सभी पहलुओं के सम्बन्ध में *नए सिरे से* विचार करे और एक रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दे।

4. तदनुसार, भादूविप्रा ने एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया प्रारम्भ की। इस सम्बन्ध में, एक विवरणयुक्त परामर्श पत्र प्राधिकरण द्वारा 25 मार्च 2010 को जारी किया गया। प्राधिकरण ने, इसके बाद, जून 2010 के महीने में हितधारकों के साथ खुला मंच चर्चाओं (ओएचडी) की एक श्रृंखला प्रारम्भ की। पहला ओएचडी 1 जून 2010 को नई दिल्ली में, जिसके बाद दूसरा 3 जून 2010 को पुणे (महाराष्ट्र) में और तीसरा 4 जून 2010 को बंगलौर में आयोजित हुआ। अन्तिम ओएचडी, 8 जून 2010 को कोलकाता में आयोजित हुआ। कुल मिला कर, 249 हितधारकों ने इन चर्चाओं में भाग लिया जो प्रसारकों, एग्रीगेटरों, एमएसओ, एलसीओ, प्रसारकों, एमएसओ और एलसीओ के संघों, उपभोक्ता समर्थक समूहों, एकल सब्सक्राइबरों और उद्योग विश्लेषकों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। चर्चाएँ ऐसे हितधारकों के साथ भी आयोजित हुई जिन्होंने भादूविप्रा के परामर्श पत्रों के प्रत्योत्तर में अपनी लिखित टिप्पणियाँ और जवाबी टिप्पणियाँ जमा की थीं। इन चर्चाओं में, जो 31 मई 2010 और 11 जून 2010 को हुई थीं, 122 हितधारक सम्मिलित हुए। उसके बाद, कुछ प्रसारकों/ एग्रीगेटरों, एमएसओ, केबल ऑपरेटर संघों और भारतीय प्रसारण प्रतिष्ठान (आईबीएफ) ने 22 जून 2010 को प्राधिकरण के साथ अलग चर्चाएँ और 23 जून 2010 को प्राधिकरण के साथ एक संयुक्त बैठक की। समाचार प्रसारक संघ (एनबीए) ने भी 25 और 28 जून 2010 को प्राधिकरण के साथ बैठकें कीं।

5. इस व्यापक और पारदर्शी परामर्श प्रक्रिया के एक परिणाम के रूप में, भादूविप्रा ने "गैर–सीएएस क्षेत्रों में केबल टीवी सेवाओं से सम्बन्धित टैरिफ मुद्दे" शीर्षक से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। यह रिपोर्ट, इस प्रयोजन के लिए लगाए गए एक प्रतिष्ठित सलाहकार की सहायता से क्षेत्र के एक व्यापक अध्ययन, देश में एनालॉग केबल वितरण मंच के सामना आने वाली समस्याओं के एक गहन मूल्याँकन और विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के दौरान व्यक्त किए गए हितधारकों के विचारों के विश्लेषण पर आधारित थी जिनमें केबल वितरण क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला के सभी वर्ग अर्थात प्रसारक, एग्रीगेटर, मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों, केबल ऑपरेटरों, उपभोक्ता समर्थक समूह और दूसरे हितधारक सम्मिलित थे।

6. यह रिपोर्ट 21 जुलाई 2010 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जमा की गई। इस रिपोर्ट में गैर–एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए एक मसौदा टैरिफ ऑर्डर भी निहित था।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उल्लिखित विषय में अपना अंतिम आदेश 17 सितंबर 2014 को सुनाया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, इस आदेश में, अपीलों का निपटान किया, जबकि विधि के सभी प्रश्नों को खुला छोड़ दिया। उन्होंने यह आदेश भी दिया कि 31 दिसम्बर 2014 तक *यथास्थिति* जारी रहेगी। आदेश में आगे कहा कि भादूविप्रा, नया टैरिफ ऑर्डर 31 दिसम्बर 2014 के तुरन्त बाद अधिसूचित करने का प्रयास करेगा।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की कि क्योंकि रिपोर्ट 2010 में तैयार की गई थी, इसलिए आगे परामर्श करने की एक आवश्यकता हो सकती है और हितधारकों को यह अनुमति दी कि, ऐसे प्रकरण में, जब कि उनकी मंशा भादूविप्रा को कोई अभ्यावेदन करने की है, तो वे ऐसा सकारात्मक रूप से 30 सितंबर 2014 तक कर सकते हैं।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और दूसरे प्रासंगिक तथ्यों और घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए, प्राधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला है कि मसौदा टैरिफ ऑर्डर, जो 21 जुलाई 2010 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जमा की गई उल्लिखित रिपोर्ट का भाग है, वर्तमान स्वरूप में अधिसूचना के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है क्योंकि तब से अब तक अनेक महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित हुई हैं। ये घटनाएँ टैरिफ ऑर्डर में उपयुक्त रूप से प्रतिबिम्बित किए जाने की आवश्यकता है। इन घटनाएँ की चर्चा बाद के अनुच्छेदों में की गई हैं।

10. 10 फरवरी 2014 को, टैरिफ ऑर्डरों और विनियमों के पाँच संशोधन भादूविप्रा के द्वारा अधिसूचित किए गए। ये संशोधन प्रसारकों और उनके अधिकृत एजेंटों की भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों में स्पष्टता लाने के लिए किए गए थे। इसमें गैर–एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणालियों के लिए लागू टैरिफ ऑर्डर में एक संशोधन (दसवाँ संशोधन) सम्मिलित था।

11. उल्लिखित संशोधन के माध्यम से, 'प्रसारक' की परिभाषा, आरआईओ को प्रकाशित करने और वितरण मंच ऑपरेटरों (डीपीओ) के साथ अंतःसंयोजन करारों में प्रवेश करने, जैसा अंतःसंयोजन विनियमन में निर्धारित है, में प्रसारक की अनन्य भूमिका को स्पष्ट करने, और सभी संदेह से परे रखने के लिए संशोधित की गई। 'अधिकृत एजेंट या मध्यस्थ' की परिभाषा, प्रसारकों और एमएसओ दोनों के लिए, टीवी चैनल वितरण के कारोबार में उनकी सुविधा प्रदाता भूमिका को स्पष्ट करने के लिए अलग से गढ़ी गई। एमएसओ की परिभाषा भी तदनुसार संशोधित की गई।

12. विनियमों में उल्लिखित संशोधन यह प्रावधान करता है कि ऐसे प्रकरण में जब कोई प्रसारक, अपने विनियामक दायित्वों के निर्वहन में, किसी एजेंट की सेवाओं का उपयोग करता है, तब ऐसा एजेंट केवल प्रसारक के नाम पर और उसकी ओर से कार्रवाई कर सकता है। आगे, प्रसारक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा एजेंट, डीपीओ को चैनल/ बुके प्रदान करने के दौरान, बुके में, जैसा कि प्रसारक ने अपने आईओ में प्रस्तुत किया है, किसी तरह का बदलाव नहीं करेगा। इसके आगे, ऐसे प्रकरण में जब कोई एजेंट मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के अधिकृत एजेंट के रूप में कार्य करता है, तब उल्लिखित संशोधन अनिवार्य करता है कि प्रत्येक प्रसारक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा एजेंट इसके चैनलों या बुके को दूसरे प्रसारकों के चैनलों या बुके के साथ संयुक्त नहीं करता है। फिर भी, 'होल्डिंग' और 'सहायक' सम्बन्ध में प्रसारक कंपनियाँ, जैसे विनियमों में निर्धारित है, अपने चैनलों को संयुक्त कर सकती हैं।

13. 31 मार्च 2014 को, गैर–एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणालियों के लिए लागू टैरिफ ऑर्डर का ग्यारहवाँ संशोधन भादूविप्रा द्वारा अधिसूचित किया गया जो, खुदरा और थोक, दोनों स्तरों पर, मुद्रास्फीति के समायोजन की अनुमति देता है।

14. 16 जुलाई 2014 को, गैर–एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणालियों के लिए लागू टैरिफ ऑर्डर का बारहवाँ संशोधन भादूविप्रा द्वारा अधिसूचित किया गया। यह संशोधन सीए संख्या 2010 की 6040–41 – मैसर्स ईएसपीएन सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम भादूविप्रा और अन्य, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 16 अप्रैल 2014 के अनुसरण में किया गया था। इस संशोधन के माध्यम से, वाणिज्यिक सब्सक्राइबरओं (सब्सक्राइबरों) पर लागू टैरिफ शर्तों और तदनुसार चैनलों की पेशकश करने के तरीके में

संशोधन किया गया। 'व्यावसायिक प्रतिष्ठान' की परिभाषा सम्मिलित की गई और 'वाणिज्यिक सब्सक्राइबर' की परिभाषा तदनुसार संशोधित की गई।

15. केबल टीवी क्षेत्र का डिजिटलीकरण, चरणबद्ध तरीके से, देश में प्रगति कर रहा है और इसे चार चरणों में पूरा किया जाना कार्यक्रमबद्ध है। पहले और दूसरे चरणों को पूरा करने की तिथियाँ क्रमशः 31 अक्टूबर 2012 और 31 मार्च 2013 थीं। पहले दो चरण, मेट्रो शहरों और 38 दूसरे शहरों को कवर करते हैं, जिसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या है। तीसरे और चौथे चरणों को पूरा करने की तिथियाँ क्रमशः 31 दिसम्बर 2015 और 31 दिसम्बर 2016 के रूप में अधिसूचित की गई हैं।

16. यह टैरिफ ऑर्डर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17 सितंबर 2014 के अनुसरण में अधिसूचित किया जा रहा है। यह टैरिफ ऑर्डर प्रसारण और वितरण के क्षेत्रों में विकासों को संज्ञान में लेता है और साथ ही इसमें वर्ष 2010, जब एक मसौदा टैरिफ ऑर्डर ऊपर उल्लिखित रिपोर्ट दिनांक 21 जुलाई 2010 के भाग के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जमा किया गया था, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश, के बीच की अन्तरालीय अवधि के दौरान संशोधित किए/ जोड़े गए विनियामक नुस्खे सम्मिलित हैं।

17. मुख्य मुद्दों और उनके विश्लेषण का एक सारांश निम्नलिखित है।

थोक टैरिफ

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 13 मई 2009 में निर्देश दिए गए *नए सिरे से* अभ्यास के प्रमुख उद्देश्यों में से से एक था थोक स्तर पर किसी उचित टैरिफ की आवश्यकता का मूल्यांकन करना, और, उस पर पहुँचना। मूल्य विनियमन के लिए आवश्यकता और उसकी विधि पर किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए एक दृष्टिकोण के साथ, इस प्रयोजन के लिए किए गए परामर्श प्रक्रिया (इसके आगे, परामर्श प्रक्रिया 2009–10) के दौरान, थोक टैरिफ के विनियमन के लिए विभिन्न क्रियाविधियाँ, नाम से, i) राजस्व साझेदारी, ii) खुदरा ऋणात्मक, और iii) लागत धनात्मक, पर चर्चा हुई और हितधारकों से टिप्पणियाँ माँगी गईं।

19. थोक टैरिफ के नियमन के सम्बन्ध में, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से प्रतिस्पर्धात्मक तर्क थे। प्राधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला कि बाजार में सब्सक्राइबरों की संख्या पर पारदर्शिता की कमी और वर्तमान एनालॉग प्रणाली में सब्सक्राइबरों के लिए विकल्प की कमी को देखते हुए, यदि मूल्य निर्धारण अनियंत्रित छोड़ दिया जाता है, तो एक संभावना है कि यह उपभोक्ताओं के लिए महंगा पड़ेगा। फिर भी, यदि थोक स्तर पर टैरिफ नियंत्रित करने के लिए कोई मूल्य निर्धारण की विधि विकसित की जाती है, तो इसे प्रसारण उद्योग की जटिल प्रकृति को प्रतिबिम्बित करने के लिए पर्याप्त दक्ष और गतिशील (डॉयनमिक) होना चाहिए, अन्यथा मूल्य नियंत्रण बाजार को आगे विकृत कर सकते हैं।

20. जहाँ तक थोक स्तर पर टैरिफ के विनियमन के लिए कार्यप्रणाली का सम्बन्ध है, प्राधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला कि जबकि राजस्व साझेदारी करना मूल्य नियंत्रण का एक दक्ष रूप है, यह कार्यप्रणाली, एक गैर–एड्रेसेबल वातावरण में प्रभावी ढंग से लागू नहीं की जा सकती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि गैर–एड्रेसेबल बाजारों में, अनुबन्ध मुख्य रूप से सब्सक्राइबरों की संख्या के आधार पर आधारित हैं जो, वास्तविक संख्या के बजाय, एक मोलभाव किया हुआ आंकड़ा है। इसके अलावा, मोलभाव के लिए आधार भी अलग–अलग हितधारकों के लिए अलग–अलग होता जाता है।

21. 'खुदरा ऋणात्मक मॉडल' पद्धति के माध्यम से थोक टैरिफ के आकलन को व्यापक अनुभवजन्य आँकड़ों के दो समूहों की आवश्यकता है (1) उपभोक्ता के द्वारा भुगतान किए गए विभिन्न चैनलों/ बुके के मूल्य और (2) बाजार में विभिन्न चैनलों/ बुके का अपटेक (अर्थात सब्सक्राइबरों की संख्या)। गैर–एड्रेसेबल बाजारों में, (1) और (2) दोनों के लिए विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करना कठिन है। अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी यह इंगित करता है कि खुदरा ऋणात्मक दृष्टिकोण का उपयोग केवल एड्रेसेबल प्रणालियों में टैरिफ निर्धारित करने के लिए किया गया है। इस अनुभवजन्य डेटा के अभाव में, प्राधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला कि टैरिफ आकलन की यह पद्धति भारत में गैर–एड्रेसेबल बाजारों के लिए उपयुक्त नहीं है।

22. 'लागत धनात्मक मॉडल' के सम्बन्ध में, प्रसारण के लिए किसी थोक टैरिफ के विश्वसनीय अनुमान के लिए आँकड़ों के निम्नलिखित समूहों की आवश्यकता है:

    क) कार्यक्रम बनाने और संचारित करने की एक–बार लगने वाली और आवर्ती लागतों (एमएसओ स्तर तक की संचरण लागतें) पर विस्तृत जानकारी – भिन्न का ऊपरी भाग (अंश) निर्धारित करने के लिए;

    ख) उपभोक्ता के स्तर पर विभिन्न चैनलों के अपटेक के बारे में जानकारी – भिन्न का निचला भाग (हर या भाजक) निर्धारित करने के लिए।

23. लागत आधारित दृष्टिकोण को अंगीकार करना भी पार्टियों की अपील में, भविष्य के टैरिफ निर्धारण के लिए एक प्रमुख कार्रवाई क्षेत्र के रूप में, उनके द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण तर्क था। टीडीसैट के निर्णय और सर्वोच्च न्यायालय के *नए सिरे* से की जाने वाली प्रक्रिया बाबत आदेश की भावना के अनुरूप, इस तरह एक लागत आधारित टैरिफ मॉडल बनाने का एक ईमानदार प्रयास किया गया। इन माँगों के प्रत्योत्तर में, भादूविप्रा ने पूरी मूल्य श्रृंखला के हितधारकों से प्रासंगिक वित्तीय और परिचालनात्मक जानकारी एकत्र करने की एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रक्रिया प्रारम्भ की। उद्देश्य था लागत आधार का आकलन करना और यह निर्धारित करना कि क्या थोक स्तर पर कार्यक्रम (चैनल) के लिए कोई उचित मूल्य की गणना की जा सकती है। फिर भी, मुख्य रूप से, उद्योग से व्यापक चैनल क्रमानुसार जानकारी की सीमित उपलब्धता और ऐसे विभिन्न घटकों जो चैनल का अंतिम मूल्य निर्धारित करते हैं, के लागत आधार में महत्वपूर्ण भिन्नता के कारण से, प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि लागत–आधारित मॉडल के परिणाम सीमित विश्वसनीयता और प्रयोज्यता के हैं।

24. ऊपर चर्चा की गई विभिन्न कार्यप्रणालियों की उपयुक्तता का विश्लेषण करने के बाद, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि एड्रेसेबलता की कमी के कारण टैरिफ निर्धारण के लिए एक मजबूत मॉडल विकसित करने में अनेक व्यावहारिक मुद्दे हैं। साथ ही साथ, एड्रेसेबलता की यह कमी, थोक स्तर पर बाजार द्वारा निर्धारित चैनल दरों को सफलतापूर्वक लागू करने में भी कठिनाइयां उत्पन्न करता है।

25. परामर्श प्रक्रिया 2009–10 में, एक दृष्टिकोण जो सामने आया था वह यह था कि, कुछ वर्ष में, भारतीय केबल और उपग्रह बाजार पूरी तरह से डिजिटल और एड्रेसेबल बाजार होगा। ऐसे किसी परिदृश्य में, एक पूरी तरह से नए टैरिफ ढांचे को लाने से हितधारकों के लिए अंतरिम में महत्वपूर्ण अनुपालन लागत उत्पन्न होने की संभावना है। किसी नई टैरिफ प्रणाली अनुबंधों के फिर से मोलभाव और कनेक्टिविटी संख्या का निर्धारण करने की नए सिरे से आवश्यकता होगी। एड्रेसेबलता के अभाव में, यहाँ तक कहा जा सकता है कि मूल्य में किसी बदलाव को एमएसओ के भुगतान/ प्रसारक की आमद को प्रभावित करने की संभावना नहीं है (क्योंकि कनेक्टिविटी में तदनुसार बदलाव का उपयोग प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए किया जाएगा)। ये विचार परामर्श प्रक्रिया 2009–10 के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों द्वारा भी समर्थित थे। जबकि प्रसारकों और एमएसओ ने प्रारम्भ में वर्तमान प्रणाली के साथ असुविधा व्यक्त की है (प्रसारकों ने फोरबियरेंस को वरीयता दी थी जबकि एमएसओ ने और अधिक कठोर मूल्य नियंत्रण को वरीयता दी) –

दोनों पक्षों ने माना कि विद्यमान प्रणाली, इसकी अपूर्णताओं के बावजूद, ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है। दोनों पक्षों ने यह भी दर्शाया कि यदि भादूविप्रा का ध्यानकेन्द्र एड्रेसेबलता के साथ डिजिटलीकरण प्रारम्भ करने (और इसके द्वारा विद्यमान मुद्दे के मूल को सम्बोधित करने) पर है, तो संभवतः अंतरिम में विद्यमान प्रणाली जारी रखना सबसे अधिक व्यावहारिक समाधान होगा। हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रचलित टैरिफ ढांचे के गुणों पर एनालॉग प्रणाली के लिए एक व्यावहारिक समाधान के रूप में ध्यान देना सबसे अच्छा विकल्प था। ये गुण इससे सम्बन्धित हैं–

i. चैनलों और बुके का मूल्य,

ii. विद्यमान बुके की संरचना और

iii. समानता के सिद्धांत पर नए पे–चैनलों और एफटीए से पे में परिवर्तित चैनलों (1.12.2007 की सन्दर्भ तिथि के बाद परिवर्तित किए गए/शुरू किए गए चैनल, विद्यमान टैरिफ ऑर्डर द्वारा निर्धारित किए गए) का मूल्य निर्धारण अर्थात् किसी नए पे–चैनल/ परिवर्तित किए गए चैनल का मूल्य समान जौनर (शैली और भाषा में समान चैनलों की दरों के समान निर्धारित किया जाना है।

26. जहाँ तक गैर–एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणालियों का सम्बन्ध है, यहां तक कि आज की तिथि पर बाजार की गतिशीलताएँ उसके लगभग समान हैं जैसी कि उस समय प्रचलित थीं जब कथित परामर्श प्रक्रिया की गई थी। इसके अलावा, केबल टीवी क्षेत्र का डिजिटलीकरण प्रगति पर है और सरकार ने केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के लिए एक समय सीमा पहले ही अधिसूचित कर दी है जो दिसम्बर 2016 तक पूरा डिजिटलीकरण होने की कल्पना करता है। इसलिए, प्राधिकरण का दृष्टिकोण यह है कि थोक टैरिफ के सम्बन्ध में प्राधिकरण के पहले के अवलोकन अभी भी सही हैं।

27. थोक टैरिफ के इन गुणों के अलावा, जो विकास बीच की अवधि में इस क्षेत्र में घटित हुए है, जैसा कि अनुच्छेदों 10–15 में चर्चा की गई है, उनसे उत्पन्न कुछ दूसरे प्रावधानों को भी सम्मिलित करने की आवश्यकता है। उनकी रूपरेखा नीचे दी गई हैं:

i. डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणालियों (डीएएस) में किसी विद्यमान प्रावधान के साथ पंक्ति में, प्रसारकों को चैनल का जौनर (शैली) निर्दिष्ट किए गए 11 जौनरों (शैलियौ) में से एक के रूप में घोषित करना आवश्यक होना चाहिए।

ii. प्रसारकों द्वारा चैनलों के वितरण के सम्बन्ध में विनियामक नुस्खों में बदलाव के साथ संगत में, जो टैरिफ ऑर्डर में संशोधन दिनांक 10.02.2014 के द्वारा लाया गया है, ऐसे बुके की पेशकश करने की प्रथा को बन्द किया जाना था जो बहुल प्रसारकों के चैनलों से मिलकर बने हैं। जबकि, टैरिफ ऑर्डर में एक पिछले संशोधन (दिनांक 4.7.2007) के माध्यम से, यह अनिवार्य किया गया था कि किसी ऐसे बुके की संरचना और दर जैसी 1.12.2007 पर विद्यमान है, जहाँ तक कि उस बुके में पे–चैनलों का सम्बन्ध है, बदले नहीं जाएँगे, सिवाय टैरिफ ऑर्डर में अनुमति दी गई मुद्रास्फीति–सम्बन्धी समायोजनों की, जो समय–समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी की जाती हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये दोनों आवश्यकताएँ संतुष्ट होती हैं, बहुल प्रसारकों के चैनलों से मिलकर बने किसी बुके का पुनर्विन्यास करने की एक पद्धति निर्धारित की गई थी। अपनाया गया सिद्धांत यह था कि, यदि किसी बुके में से किसी चैनल को बाहर निकाला जाना है, तो इस तरह के किसी पे–चैनल को निहित करने वाले बुके की दर उसी अनुपात में कम कर दी जाएगी जो अनुपात कथित पे–चैनल की अ–ला–कार्ट दर का कथित बुके में सभी पे–चैनलों की अ–ला–कार्ट दरों के योग से है। बुके के पुनर्विन्यासन का एक उदाहरण संलग्नक I में देखा जा सकता है। जिन बुके को इस तरह से संशोधित किया गया है, सम्बन्धित प्रसारणकर्ता(ओं) के द्वारा, उनकी पेशकश संरचना, जहाँ तक पे–चैनलों का सम्बन्ध है, में किसी भी बदलाव के बिना की जानी आवश्यक थी। फिर भी, इस तरह से संशोधित किए गए बुके के लिए, दोहरी शर्तें और साथ ही इस टैरिफ ऑर्डर के खण्ड 5 के उप–खण्डों (4), (5) और (6) में उल्लिखित शर्तें भी समान रूप से लागू होगी।

28. तदनुसार, थोक टैरिफ प्रशासित करने वाले प्रावधान इस आदेश में सम्मिलित किए गए हैं।

चैनलों को अ–ला–कार्ट के तौर पर थोक स्तर पर प्रदान करना

29. थोक स्तर पर अ–ला–कार्ट आधार पर चैनलों की अनिवार्य पेशकश के मुद्दे पर परामर्श प्रक्रिया 2009–10 के दौरान चर्चा की गई थी, और, प्रसारकों के लिए इसे वैकल्पिक रखने का एक प्रावधान मसौदा टैरिफ ऑर्डर में प्रस्तावित किया गया था, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जमा की गई रिपोर्ट का भाग गठित करता है। उल्लिखित मसौदा टैरिफ ऑर्डर के सूत्रीकरण के बाद से काफी समय व्यतीत हो चुका है। बीच

की अवधि में, प्रसारकों द्वारा चैनल की अ–ला–कार्ट पेशकश, थोक स्तर पर गैर–एड्रेसेबल क्षेत्रों में, अनिवार्य रही है। प्रणाली ने पहले ही स्थायित्व प्राप्त कर लिया है और जमीन पर काम कर रही है, किन्हीं भी प्रमुख मुद्दों के रिपोर्ट हुए बिना। इसके अलावा, अधिकांश प्रमुख प्रसारको ने स्वयं ही उनके चैनलों की पेशकश अनन्य रूप से, अ–ला–कार्ट आधार पर कर रहे हैं। आगे, डिजिटलीकरण की प्रगतिशील पैठ के साथ, अनिवार्य अ–ला–कार्ट पेशकश आगे का पथ होने जा रही है। इसलिए, प्राधिकरण का दृष्टिकोण यह है कि प्रसारकों के लिए उनके चैनलों की पेशकश अ–ला–कार्ट आधार पर करना अनिवार्य किया जाए। वे, अ–ला–कार्ट पेशकश के अलावा, चैनलों के बुके की पेशकश भी कर सकते हैं। फिर भी, विद्यमान प्रथा के अनुसार, अ–ला–कार्ट एवं बुके दरों पर पेशकश किए गए चैनलों की दरों के पारस्परिक सम्बन्ध का नुस्खा देने की दोहरी शर्तें लागू होना जारी रहना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि अ–ला–कार्ट दरें बुके दरों के मुकाबले में बहुत ऊँची नहीं रखी जा सकें और अ–ला–कार्ट दरें एमएसओ/ केबल ऑपरेटरों के लिए भ्रामन न बना दी जाएँ । तदनुसार, उपयुक्त प्रावधान इस आदेश में निर्धारित किए गए हैं।

खुदरा टैरिफ

30. खुदरा टैरिफ वह मूल्य है जो स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ) सब्सक्राइबर से वसूलता है। गैर–एड्रेसेबल बाजारों में, यह टैरिफ केबल सेवा के लिए एक संयुक्तीकृत मूल्य है – जो एनालॉग रिसेप्शन के द्वारा ~80 एफटीए और पे–चैनलों से मिलकर बना होता है। यह केबल ऑपरेटर द्वारा वहन किए गए बिलिंग, एकत्रीकरण और रखरखाव शुल्कों को भी हिसाब में लेता है।

31. खुदरा स्तर पर मूल्य विनियमन के लिए आवश्यकता का निर्धारण करने के एक दृष्टिकोण के साथ, परामर्श प्रक्रिया 2009–10 के दौरान, खुदरा टैरिफ विनियमन, नाम से, (i) लागत धनात्मक या (ii) परामर्शदात्री दृष्टिकोण या (iii) वहनीयता से जुड़ी या (iv) कोई दूसरी विधि/ दृष्टिकोण, के लिए किसी उपयुक्त कार्यप्रणाली पर हितधारकों से टिप्पणियाँ मांगी गई थीं।

32. लागत धनात्मक खुदरा मूल्य निर्धारण खुदरा स्तर पर उपभोक्ताओं के लिए केबल सेवाएँ प्रदान करने की "अनुमानित लागत" पर आधारित है। इसमें प्रसारकों, एमएसओ और एलसीओ की लागतें, और साथ ही मूल्य श्रृंखला में हर एक हितधारक के लिए एक उचित मार्जिन भी सम्मिलित है।

33. किसी विश्वसनीय और सटीक लागत धनात्मक खुदरा टैरिफ का आकलन करने में कई व्यावहारिक मुद्दे हैं। लागत धनात्मक टैरिफ को प्रति सब्सक्राइबर सामग्री लागत (प्रसारक को आरोप्य), प्रति सब्सक्राइबर वितरण लागत (एमएसओ/ एलसीओ को आरोप्य) और साथ ही तर्कसंगत मार्जिन के एक आकलन को सम्मिलित करना होगा। ऐसे किसी बाजार में सामग्री और वितरण के प्रति सब्सक्राइबर लागत पर पहुँचना कठिन है जहाँ लागत और उत्पाद मानकीकृत नहीं हैं, और जहाँ सब्सक्राइबरों की संख्या के बारे में सीमित दृश्यता है। प्रसारण लागतों और मार्जिनों के सम्बन्ध में, उद्योग में लागतों के मानकीकरण की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना किया जाता है। परिचालनात्मक मॉडल, नेटवर्क के आकार, जौनर (शैली), कार्यक्रम चैनल अधिग्रहण मॉडल और दूसरे कारकों के कारण से भिन्नताएँ – कार्यक्रम (चैनल) के लिए किसी औसत लागत पर पहुँचना कठिन करती हैं। वितरण लागतों और मार्जिनों के सम्बन्ध में, अन्तिम छोर पर व्यापक विखण्डन है और किसी प्रकटीकरण प्रणाली की कमी उद्योग में सभी हितधारकों के लिए जानकारी एकत्र करना कठिन करती है। केवल एनालॉग सेवाओं के लिए लागतों को अलग करने में कठिनाइयाँ हैं – क्योंकि गैर–एड्रेसेबल क्षेत्रों में कई ऑपरेटर हैं जो एनालॉग सेवाओं और डिजिटल सेवाओं का एक मिश्र प्रदान करते हैं (एड्रेसेबलता के बिना स्वैच्छिक डिजिटलीकरण के माध्यम से)।
34. खुदरा मूल्य निर्धारण के लिए एक परामर्शदात्री दृष्टिकोण का उपयोग कोरिया और ताइवान जैसे देशों में किया जाता है, और इसमें सभी ऑपरेटरों की मूल्य निर्धारण नीतियों की आवधिक समीक्षा सम्मिलित है। केबल ऑपरेटर द्वारा सब्सक्राइबरों से वसूले जाने वाला मूल्य और उसके लिए उनका तर्क (लागत संरचना, प्रतिस्पर्था, प्रस्तावित निवेश और उन्नयन) प्रस्तावित करते हैं – और यह विनियामक प्राधिकारी द्वारा समीक्षा के अन्तर्गत है।
35. एक परामर्शदात्री दृष्टिकोण केवल किसी लाइसेंसीकृत व्यवस्था में काम कर सकता है, क्योंकि ऑपरेटरों पर उनके मूल्य निर्धारण की घोषणा एक नियमित आधार पर अधिकारियों को करने का वैधानिक दायित्व है। परामर्श समीक्षा का गैर अनुपालन, परिचालित करने के लाइसेंस को रद्द कर देता है। प्राधिकरण का दृष्टिकोण यह था कि क्षेत्र की असंरचनागत स्थिति में, परामर्शदात्री दृष्टिकोण भारतीय बाजार में उपयुक्त नहीं है।
36. माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जमा की गई रिपोर्ट में, विभिन्न कार्यप्रणालियों की समीक्षा करने के बाद, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि 'लागत धनात्मक' और 'परामर्शदात्री दृष्टिकोण' भारतीय एनालॉग केबल टीवी बाजार में अंगीकार करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर भी पहुँचा कि

कोई खुदरा मूल्य की ऊपरी सीमा – किसी तर्कसंगत स्तर पर – जो उपभोक्ता की रुचि को उद्योग की विकास क्षमता के साथ सन्तुलित करती है – भारत में गैर–एड्रेसेबल बाजारों में केबल टीवी सेवाओं के प्रकरण में विश्वासजनक है।

37. वहनीयता से जुड़ी खुदरा मूल्य निर्धारण, मूल्य विधि की ऊपरी सीमा को उत्पादों और सेवाओं के लिए भुगतान करने की उपभोक्ताओं की वहनीयता या क्षमता से जोड़ता है। यह दृष्टिकोण, मूल्य की ऊपरी सीमा का निर्णय लेने के दौरान, उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान आय और/ या व्यय के स्तरों पर विचार करता है और इसे समान उत्पाद और सेवा की श्रेणियों में व्ययों के लिए मानक बनाता है। उपभोक्ता की खर्च करने की आदतों पर कुछ तर्कसंगत मान्यताओं के अन्तर्गत, यह संभव है कि उसके बाद उपलब्ध उपभोक्ता व्यय आँकड़ों के माध्यम से वहनीयता से जुड़ी मानकों की गणना की जाए ।

38. यह दृष्टिकोण उपभोक्ता तक सीधे पहुँचता है और माँग पर आधारित मूल्य का अनुमान लगाता है। यह खुदरा टैरिफ को स्वयं को किन्हीं भी ऐसे मुद्दों और/ या समस्याओं से अलग करने की अनुमति भी देता है जिनका अवलोकन आपूर्ति पक्ष में देखा गया था, जैसे कि व्यापक लागत आँकड़ों की अनुपलब्धता। प्राधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला कि एक वहनीयता से जुड़ी मूल्य की ऊपरी सीमा, उपभोक्ता के हितों की रक्षा कर सकती है और साथ ही साथ भारत में एनालॉग प्रणालियों की गैर–एड्रेसेबल प्रकृति के द्वारा बनाए गए गतिरोध के लिए एक व्यावहारिक समाधान प्रदान कर सकती है।

39. वहनीयता से जुड़ी खुदरा मूल्य की ऊपरी सीमा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के सर्वेक्षण के अनुसार राज्य–क्रमानुसार शहरी घरेलू–इकाई उपभोग व्यय आँकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से विकसित की गई थी। इसे आय और व्यय पर दूसरे प्रकाशित किए गए आँकड़ों के माध्यम से आगे मान्य किया गया था। प्राथमिक विश्लेषण, राज्य–क्रमानुसार शहरी घरेलू–इकाई खपत पर आधारित है। इसे परामर्श प्रक्रिया 2009–10 के दौरान एकत्र किए गए आँकड़ों के द्वारा आगे मान्य किया गया था। उपभोक्ता समर्थक समूहों द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार प्रति सब्सक्राइबर प्रति माह रु. 65 के न्यूनतम शुल्कों (केबल टीवी सेवाओं के लिए) और प्रति सब्सक्राइबर प्रति माह रु. 250 के अधिकतम शुल्कों के आधार पर औसत प्रति सब्सक्राइबर प्रति माह रु. 165 आता है। इसी तरह से, भादूविप्रा द्वारा कमीशन किए गए सीएमएस सर्वेक्षण ने चेन्नई में प्रति सब्सक्राइबर प्रति माह रु.106 के न्यूनतम शुल्क (केबल टीवी सेवाओं के लिए) और शिलांग में प्रति सब्सक्राइबर प्रति माह रु. 319 के एक अधिकतम टैरिफ के आधार पर, 22 शहरों में औसतन प्रति सब्सक्राइबर प्रति माह रु. 185 को दर्शाया। इस प्रकार, प्राधिकरण द्वारा यह निष्कर्ष निकाला

गया कि प्रति सब्सक्राइबर प्रति माह रु. 250 का एक तर्कसंगत ऊपरी सीमा बनाया जा सकता है। इन आँकड़ों के प्रकाश में, प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि पे केबल सेवाओं के लिए खुदरा मूल्य ऊपरी सीमा प्रति माह प्रति कनेक्शन रु. 250 पर नियत की जानी चाहिए, जिसमें वास्तविक मासिक बिल ऑपरेटर विशेष के व्यापार मॉडल पर छोड़ दिया जाए – ऊपरी सीमा के अन्तर्गत।

40. किसी घरेलू इकाई के द्वारा पे टीवी सेवाओं पर आधारित मूल्य निर्धारित करने के अलावा, प्राधिकरण ने केवल एफटीए चैनलों से मिलकर बनी किसी और अधिक आधारभूत सेवा को परिभाषित करने की आवश्यकता भी महसूस की। एफटीए चैनलों के लिए, उपभोक्ता को पड़ने वाली लागत में केवल संचारण, वितरण और सर्विसिंग की लागत सम्मिलित होती है। परामर्श प्रक्रिया 2009–10 के दौरान हितधारकों (एमएसओ और एलसीओ) से आँकड़ों और प्रत्योत्तरों का परीक्षण करने के बाद, प्राधिकरण का दृष्टिकोण यह था कि किसी घरेलू इकाई को एफटीए चैनल प्रदान करने की लागत प्रति माह प्रति कनेक्शन रु. 80–100 है। यह तत्कालीन अधिसूचित किए गए कण्डीशनल एक्सेस प्रणाली (सीएएस) क्षेत्रों और गैर–सीएएस क्षेत्रों, दोनों में एफटीए चैनलों के लिए प्रचलित ऊपरी सीमा के अनुरूप थी (9% की मुद्रास्फीति को हिसाब में लेकर जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जमा की गई रिपोर्ट में सम्मिलित मसौदा टैरिफ ऑर्डर में प्रावधान किया गया है)। तदनुसार, प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि आधारभूत सेवा (केवल एफटीए, जो कि न्यूनतम 30 चैनलों कि हों) के लिए ऊपरी सीमा प्रति माह प्रति कनेक्शन रु. 100 के रूप में रखी जाए। यह निष्कर्ष भी निकाला गया कि जो ऑपरेटर पे–चैनलों की सब्सक्राइबर सदस्यता लेने के इच्छुक नहीं है, उनके पास अधिकतम प्रति माह रु. 100 पर उनके सब्सक्राइबरों के लिए आधारभूत सेवा प्रदान करने का विकल्प हो।

41. परामर्श प्रक्रिया 2009–10 के दौरान एक और पहलू जिस पर विचार किया गया, वह था – उपभोक्ताओं को पेशकश किए गए पे और एफटीए चैनलों के बीच अनुपात के नुस्खे से सम्बन्धित खुदरा टैरिफ। इस सम्बन्ध में, यह अवलोकन किया गया था कि एनालॉग केबल सेवाओं के बाजार में सेवा के विभिन्न स्तर थे। किसी ऑपरेटर द्वारा प्रदान किए गए चैनलों के मिश्र का अंतिम उपभोक्ता को उपलब्ध कार्यक्रम की गुणवत्ता पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार, यह मान्यता दी गई थी कि पे–चैनलों की कोई बड़ी संख्या उपभोक्ता से एक उच्च मूल्य आकर्षित करेगी, क्योंकि ये लागतें ऐसे कार्यक्रमों (चैनलों) को उत्पादित और प्रसारित करने के लिए मूल्य श्रृंखला की क्षतिपूर्ति करने के लिए आवश्यक थीं। उसी समय पर, यह महसूस किया गया कि एफटीए चैनलों की कोई निश्चित संख्या देश में लगभग हर टेलीविजन

रखने वाली घरेलू इकाई के लिए पहुँचयोग्य होनी चाहिए। यह एक ऐसी आधारभूत सेवा के प्रावधान के लिए आह्वान करता है जिसे सब्सक्राइबर पर कोई तर्कसंगत मूल्य डालकर खरीदा जा सकता है।

42. वर्ष 2007 में भादूविप्रा द्वारा सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस) के माध्यम से किए गए भारत में केबल टेलीविजन सेवाओं के उपभोक्ताओं के बाजार सर्वेक्षण ने यह दर्शाया कि 21–50 चैनल और 51–100 चैनल प्राप्त करने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक हैं और वे लगभग बराबर थे। इसलिए, यदि किसी को प्राप्त किए गए चैनलों के आधार पर सब्सक्राइबरों को वर्गीकृत करना होता, तो यह 50 या कम चैनल और 50 या अधिक चैनल होगा।

43. इन अवलोकनों, और साथ ही आधारभूत सेवाओं और भुगतान टीवी सेवाओं के लिए वहनीयता के एक आकलन के आधार पर, प्राधिकरण ने, मसौदा टैरिफ ऑर्डर में, खुदरा टैरिफ पर निम्नलिखित टैरिफ की ऊपरी सीमाएँ निर्धारित कीं:

- प्रति माह रु. 100 – न्यूनतम 30 एफटीए चैनल, दूरदर्शन के अनिवार्य रूप से दिखाए जाने वाले चैनलों सहित – यह "आधारभूत पैकेज" के रूप में परिभाषित है
- प्रति माह रु. 200 – आधारभूत पैकेज + 20 तक पे–चैनल
- प्रति माह रु. 250 – आधारभूत पैकेज + 20 से अधिक पे–चैनल

44. जहाँ तक गैर–एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणालियों का सम्बन्ध है, यहाँ तक कि आज तक बाजार की गतिशीलता उसके समान है जैसी उस समय प्रचलित थी जब परामर्श प्रक्रिया 2009–10 की गई थी। इसके अलावा, क्षमता की कमी के सम्बन्ध में स्थिति, एनालॉग बाजारों में उपभोक्ता को पेशकशें और उपभोक्ता के पास उपलब्ध विकल्प भी लगभग अपरिवर्तित ही बने रहे हैं। इसलिए, प्राधिकरण का दृष्टिकोण यह है कि खुदरा टैरिफ और इससे सम्बन्धित पहलुओं के सम्बन्ध में प्राधिकरण के पिछले निष्कर्ष, सिद्धांत रूप में, अभी भी सही बैठते हैं। फिर भी, समय के उस बिन्दु पर गणना की गई खुदरा टैरिफ ऊपरी सीमाएँ 9% मुद्रास्फीति से जुड़ी बढ़ोतरी का समावेश करती थी जबकि प्राधिकरण ने मार्च 2014 तक की अवधि के लिए 15% की एक मुद्रास्फीति से जुड़ी बढ़ोत्तरी की अनुमति दी है। तदनुसार, संशोधित खुदरा टैरिफ ऊपरी सीमाओं पर शेष की बढ़ोत्तरी के लिए समायोजित करने और निकटतम रुपए मूल्य तक राउण्ड ऑफ करने के लिए गणना की गई है। संशोधित खुदरा टैरिफ की ऊपरी सीमाएँ, निम्न के रूप में निकलती हैं:

- प्रति माह रु. 105 – न्यूनतम 30 एफटीए चैनल, दूरदर्शन के अनिवार्य रूप से दिखाए जाने वाले चैनलों सहित – यह "आधारभूत पैकेज" के रूप में परिभाषित है
- प्रति माह रु. 211 – आधारभूत पैकेज + 20 तक पे–चैनल
- प्रति माह रु. 263 – आधारभूत पैकेज + 20 से अधिक पे–चैनल

तदनुसार टैरिफ ऑर्डर में प्रावधानों को निर्धारित किया गया है।

45. वहनीयता से जुड़े दृष्टिकोण के सन्दर्भ के साथ, परामर्श प्रक्रिया 2009–10 के दौरान, यह चर्चा भी की गई थी कि यदि टैरिफ की ऊपरी सीमाएँ निर्धारित की जाती हैं तो क्या निर्धारित की गई टैरिफ की ऊपरी सीमाएँ राज्य स्तर पर होनी चाहिएँ या स्तरीय (टीयर्ड) ऊपरी सीमा (3 स्तरीय) होनी चाहिएँ जैसा परामर्श–पत्र दिनांक 25 मार्च 2010 में चर्चा की गई थी या राष्ट्रीय स्तर पर एक ही ऊपरी सीमा या कोई दूसरी?
46. एक राज्य क्रमानुसार ऊपरी सीमा, राज्य क्रमानुसार वहनीयता और व्यय के स्तर को हिसाब में लेगी। परिणामस्वरूप, खुदरा टैरिफ के ~25 स्तर देश भर में लागू होंगे। जबकि यह दृष्टिकोण, हर राज्य की वहनीयता का स्तर को सबसे निकट से प्रतिबिम्बित करता है, यह तब भी किसी राज्य के भीतर, या किसी विशेष शहर के भीतर, वहनीयता की भिन्नताओं को हिसाब में नहीं ले सकता है। राज्य–क्रमानुसार ऊपरी सीमाओं के निम्न नुकसान भी हैं: (1) बहुल टैरिफों को देश भर में संचारित करने और प्रभावी बनाने में कठिनाइयाँ (2) ऊपरी सीमा में महत्वपूर्ण भिन्नता जिसमें उच्चतम राज्य का टैरिफ निम्नतम राज्य के लिए निर्धारित किए गए टैरिफ का लगभग पाँच गुना है।
47. एक टीयर क्रमानुसार ऊपरी सीमा के लिए विभिन्न शहरों को विभिन्न स्तरों में आवंटित करने की आवश्यकता होगी। यह, ऐसा कोई इस तरह से वर्गीकरण करके किया जा सकता है जो औसत राज्य वहनीयता को औसत अखिल भारतीय वहनीयता से इण्डेक्स करता हो। जो औसत से महत्वपूर्ण रूप से ऊपर हैं वो टीयर 1 के अन्तर्गत आ सकता है, जो औसत के बराबर या लगभग बराबर है वो टीयर 2 के अन्तर्गत आते हैं, और जो औसत से काफी नीचे हैं वो टीयर 3 में आते हैं। खुदरा टैरिफ गिरता है, जैसे–जैसे कोई व्यक्ति टीयर 1 से टीयर 3 की ओर जाता है। इस तरह का कोई आवंटन यह सुनिश्चित

करेगा कि समान व्यय व्यवहार वाले राज्य एक साथ समूहीकृत होते हैं और टीयर क्रमानुसार मूल्य ऊपरी सीमा विभिन्न राज्यों में वहनीयता स्तर में बदलाव को प्रतिबिम्बित करती है। फिर भी, टियर–क्रमानुसार ऊपरी सीमाएँ तब भी किसी टीयर के भीतर राज्यों के बीच या राज्यों के भीतर शहरों के बीच विविधताओं को हिसाब में नहीं ले सकेंगी। इसके साथ ही, इसे किसी एकल अखिल भारतीय टैरिफ की तुलना में अधिक विवरणयुक्त संचार की आवश्यकता होगी क्योंकि उपभोक्ताओं को इस बारे में सूचित करने की आवश्यकता होगी कि वो किस टियर में आते हैं और उस टियर के लिए लागू टैरिफ की ऊपरी सीमा क्या है।

48. एक राष्ट्रीय ऊपरी सीमा केबल उपभोक्ता को संरक्षित करने का सबसे सीधा–सादा तरीका है। कुछ हितधारकों ने यह तर्क दिया कि वहनीयता एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलती है, और राज्य–क्रमानुसार ऊपरी सीमाएँ विकसित की जानी चाहिएँ। इसलिए, कुछ राज्यों, जिनके व्यय के स्तर राष्ट्रीय औसत की तुलना में निम्नतर हैं, नुक्सान में रहेंगे। फिर भी, यह मान्यता भी अवश्य दी जानी चाहिए कि राज्यों के भीतर, शहरों के भीतर और यहाँ तक कि एक एकल ऑपरेटर के द्वारा सेवा दिए गए दो आवासीय क्षेत्रों के भीतर वहनीयता में भिन्नता है। कोई राष्ट्रीय ऊपरी सीमा इस प्रकार एक समग्र स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण प्रदान करती है, जबकि यह ऑपरेटर को उच्च वहनीयता वाली घरेलू इकाइयों से अधिक वसूली करने के माध्यम से उसके क्षेत्र में निम्न वहनीयता वाली घरेलू इकाइयों को पार–सबसिडी देने की सुविधा भी देती है। बहुत अधिक श्रेणियाँ/ उप–वर्गीकरण लागू करना इस प्रकार टैरिफ को जटिल भव्य भी कर सकता है और दक्षता को कम कर सकता है। इसके अतिरिक्त, कोई एकल राष्ट्रीय ऊपरी सीमा प्रभावी करने के लिए और उपभोक्ता को संचारित करने के लिए सरल है।

49. ऊपर की चर्चा की दृष्टि में, कोई एकल राष्ट्रीय स्तर ऊपरी सीमा प्राधिकरण के द्वारा भारतीय बाजार के लिए उपयुक्त मानी गई। संचारण, कार्यान्वयन और प्रवर्तन की सरलता के अलावा – यह एक समदृष्टि प्रदान करती है जिसके माध्यम से केबल बाजार के उपभोक्ता तक का का अवलोकन किया जा सकता है। जबकि यह वहनीयता के विभिन्न स्तरों को हिसाब में लेने में सक्षम नहीं हो सकती है, यह भी समझना होगा कि कोई भी ऊपरी सीमा (टीयर–अनुसार या राज्य–क्रमानुसार) वहनीयता में सभी विचरण को हिसाब में नहीं ले सकती है। उदाहरण के लिए, किसी राज्य के भीतर शहरों के लिए वहनीयता के विभिन्न स्तर हो सकते हैं। किसी शहर में क्षेत्रों के भीतर, या यहाँ तक कि एक ही केबल ऑपरेटर द्वारा सेवा किए गए समान क्षेत्र के भीतर भी वहनीयता के विभिन्न स्तर हो सकते हैं। इस प्रकार, प्राधिकरण ने यह निष्कर्ष

निकाला कि एक एकल राष्ट्रीय ऊपरी सीमा लागू होनी चाहिए, जिसके साथ वहनीयता के हिसाब से क्रॉस–सब्सिडी देने का निर्णय एकल केबल ऑपरेटर पर छोड़ दिया जाए। यह उपभोक्ताओं हितों का संरक्षण करेगा, जबकि इसे एकल ऑपरेटरों के व्यापार मॉडल को माइक्रो–प्रबन्धित न करने के समानांतर उद्देश्य के साथ संतुलित करेगा।

एमएसओ और केबल ऑपरेटर के बीच राजस्व हिस्सेदारी

50. वर्तमान में गैर–एड्रेसेबल क्षेत्रों में, एमएसओ और केबल ऑपरेटरों के पास आपसी मोलभाव से की गई व्यापार व्यवस्थाएँ हैं। प्राधिकरण का दृष्टिकोण यह है कि, केबल ऑपरेटर द्वारा एमएसओ को भुगतान किए शुल्कों का निर्धारण करने के लिए, एमएसओ और केबल ऑपरेटरों के बीच आपसी मोलभाव की गई व्यापार व्यवस्थाएँ जारी रखी जाएँ। तदनुसार, टैरिफ ऑर्डर में प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

बिलिंग

51. सब्सक्राइबरों द्वारा किए गए भुगतान के लिए सब्सक्राइबरों को बिल जारी करने और साथ ही पावती के लिए टैरिफ ऑर्डर में प्रावधान किए गए हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि बिल में सभी प्रासंगिक विवरण होने चाहिएँ जैसे कि पेशकश किए गए पे और एफटीए चैनलों की कुल संख्या, लागू कर आदि। संबंधित ऑपरेटर को पहले बिल में, और, बाद में, जब कभी भी पेशकशों में कोई बदलाव आता है, पेशकश किए गए सभी चैनलों की सूची प्रदान करना अनिवार्य है।

ऐसे क्षेत्रों में एड्रेसेबल प्रणालियों का उपयोग करके केबल टीवी सेवाओं की पेशकश करने के लिए टैरिफ जहाँ केन्द्र सरकार द्वारा डीएएस कार्यान्वयन के लिए अधिसूचित की गई अंतिम तिथियाँ अभी पूरी नहीं हुई हैं

52. प्राधिकरण का दृष्टिकोण यह है कि प्रसारण और केबल टीवी क्षेत्रों में आगे बढ़ने का मार्ग एड्रेसेबल डिजिटलीकरण का कार्यान्वयन है। इसलिए, यदि कोई सेवा प्रदाता, सम्बन्धित क्षेत्र की एनालॉग समापन की तिथि से पहले, जैसा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है, डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों का उपयोग करके केबल टीवी सेवाओं की पेशकश करता है, तो विनियामक प्रावधान को इस तरह के प्रयासों को सुविधाजनक बनाना और प्रोत्साहित करना चाहिए। इस सम्बन्ध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जमा

की गई रिपोर्ट में, प्राधिकरण ने कहा था कि एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए लागू टैरिफ ऑर्डर केबल टीवी नेटवर्कों में उत्तरोत्तर रूप से लागू होगा जैसे–जैसै वे डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों पर परिवर्तित करते हैं। यह पहलू टैरिफ ऑर्डर में विशिष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है।

53. यह कहना अनावश्यक है, कि डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी सेवाओं की पेशकश करने से पहले, सेवा प्रदाता को पंजीकृत होना और डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली की स्थापना करनी पड़ेगी, जैसा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित है। प्राधिकरण का दृष्टिकोण यह है कि ऐसे सेवा प्रदाताओं के लिए, विनियामक नुस्खे, जो न केवल टैरिफ से, परन्तु अंतःसंयोजन, सेवा की गुणवत्ता आदि से भी संबंधित हैं, उसके समान होंगे जैसे वो हैं जो डीएएस में पेशकश की गई केबल टीवी सेवाओं पर लागू हैं।

रिपोर्ट करने की आवश्यकताएँ

54. प्रसारकों के लिए रिपोर्ट करने की आवश्यकताएँ निर्धारित की गई हैं। प्रसारकों के लिए यह आवश्यक है कि वे चैनलों के विवरण जैसे कि जौनर (शैली), दरें आदि प्रदान करें। प्रसारकों के लिए किसी भी नए पे–चैनल के शुरू करने, किसी विद्यमान निःशुल्क चैनल के पे–चैनल में रूपांतरण, बुके की संरचना में परिवर्तन आदि के बारे में, अग्रिम में, सूचित करना भी आवश्यक है। प्रसारकों के लिए प्राधिकरण को सूचित करना और साथ ही इस तरह की जानकारी अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराना आवश्यक है। तदनुसार, प्रावधान टैरिफ ऑर्डर में निर्धारित किए गए हैं।

संलग्नक I

बुके के पुनर्विन्यासन का चित्रण

यदि वहाँ कोई ऐसा बुके है, जो निम्नलिखित विवरणों के अनुसार 3 प्रसारकों के 10 चैनल से मिलकर बना है।

चैनल का नाम	प्रसारक का नाम	चैनल का प्रकार (पे/ एफटीए)	अ–ला–कार्ट दर	बुके दर
			रुपए	रुपए
चैनल 1	प्रसारक क	पे	2	30 (अ–ला–कार्ट दरों का योग = 45)
चैनल 2	प्रसारक ख	पे	5	
चैनल 3		एफटीए	0	
चैनल 4		पे	7	
चैनल 5		पे	3	
चैनल 6	प्रसारक ग	पे	5	
चैनल 7		पे	9	
चैनल 8		पे	7	
चैनल 9		पे	4	
चैनल 10		पे	3	

पुनर्विन्यासन के बाद एकल प्रसारकों द्वारा पेशकश किए जाने वाले बुके निम्नानुसार होंगेः

प्रसारक ख बुके की पेशकश निम्नलिखित विवरणों के अनुसार करेगा :–

चैनल का नाम	प्रसारक का नाम	चैनल का प्रकार (पे/ एफटीए)	अ–ला–कार्ट दर	बुके दर
			रुपए	रुपए
चैनल 2	प्रसारक ख	पे	5	10 (=30 *15 / 45)
चैनल 3		एफटीए	0	
चैनल 4		पे	7	
चैनल 5		पे	3	
		अ–ला–कार्ट दरों का योग	15	

प्रसारक ग बुके की पेशकश निम्नलिखित विवरणों के अनुसार करेगाः

चैनल का नाम	प्रसारक का नाम	चैनल का प्रकार (पे/ एफटीए)	अ–ला–कार्ट दर	बुके दर
			रुपए	रुपए
चैनल 6	प्रसारक ग	पे	5	18.67 (=30 *28 / 45)
चैनल 7		पे	9	
चैनल 8		पे	7	
चैनल 9		पे	4	
चैनल 10		पे	3	
		अ–ला–कार्ट दरों का योग	28	

जबकि प्रसारक क चैनल 1 की पेशकश 2 रुपए की अ–ला–कार्ट दर पर कर सकता है।"